

विषय-सूची
Contents
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
The Prevention of Corruption Act, 1988
क्रमांक 49 सन् 1988—No. 49 of 1988

Section :		Page
	अध्याय 1—CHAPTER I	
	प्रारम्भिक—Preliminary	
1.	संक्षिप्त नाम और विस्तार। Short title and extent.	1 1
2.	परिभाषाएं। Definitions.	1 1
	अध्याय 2—CHAPTER II	
	विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति—Appointment of Special Judges	
3.	विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। Power to appoint Special Judges.	3 3
4.	विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले। Cases triable by Special Judges.	4 4
5.	प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां। Procedure and powers of Special Judge.	4 4
6.	संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति। Power to try summarily.	6 6
	अध्याय 3—CHAPTER III	
	अपराध और शास्तियां—Offences and Penalties	
7.	लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। Offence relating to public servant being bribed.	6 6
7A.	भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक् लाभ लेना। Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.	8 8
8.	किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। Offence relating to bribing of a public servant.	8 8
9.	किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.	9 9
10.	वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.	10 10
11.	लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है। Public servant obtaining undue advantage, without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.	11 11
12.	अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। Punishment for abetment of offences.	11 11
13.	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। Criminal misconduct by a public servant.	11 11

Section :	Page
14. आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। Punishment for habitual offender.	12
15. प्रयत्न के लिये दंड। Punishment for attempt.	13
16. जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। Matters to be taken into consideration for fixing fine.	13
अध्याय 4—CHAPTER IV	
इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण Investigation into Cases under the Act	
17. अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। Persons authorised to investigate.	13
17A. लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। Enquiry or Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.	14
18. बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति। Power to inspect bankers' books.	14
अध्याय 4-क—CHAPTER IV-A	
सम्पत्ति की कुर्की और समपहरण—Attachment and Forfeiture of Property	
18A. दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना। Provisions of Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 to apply to attachment under this Act.	15
अध्याय 5—CHAPTER V	
अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध Sanction for Prosecution and other Miscellaneous Provisions	
19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। Previous sanction necessary for prosecution.	15
20. जहां लोक सेवक असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है वहां उपधारणा। Presumption where public servant accepts any undue advantage.	17
21. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। Accused person to be a competent witness.	18
22. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कुछ उपान्तरणों के अध्याधीन लागू होना। The Code of Criminal Procedure, 1973 to apply subject to certain modifications.	19
23. धारा 13(1)(क) के अधीन अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां। Particulars in a charge in relation to an offence under section 13(1)(a).	19
24. [* * *]	20
25. सेना, नौसेना और वायुसेना सम्बन्धी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना। Military, Navy and Air Force or other law not to be affected.	20
26. 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना। Special Judges appointed under Act 46 of 1952 to be Special Judges appointed under this Act.	20

Section :	Page
27. अपील और पुनरीक्षण। Appeal and revision.	21
28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। Act to be in addition to any other law.	21
29. 1944 के अध्यादेश सं० 38 का संशोधन। Amendment of the Ordinance 38 of 1944.	21
29A. नियम बनाने की शक्ति। Power to make rules.	22
30. निरसन और व्यावृत्ति। Repeal and saving.	22
31. 1860 के अधिनियम सं० 45 की कुछ धाराओं का लोप। Omission of certain sections of Act 45 of 1860.	22

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

The Central Vigilance Commission Act, 2003

क्रमांक 45 सन् 2003—No. 45 of 2003

अध्याय 1—CHAPTER I

प्रारंभिक—Preliminary

1. संक्षिप्त नाम। Short title.	23
2. परिभाषाएं। Definitions.	23

अध्याय 2—CHAPTER II

केन्द्रीय सतर्कता आयोग—The Central Vigilance Commission

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन। Constitution of Central Vigilance Commission.	23
4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति। Appointment of Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners.	24
5. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें। Terms and other conditions of service of Central Vigilance Commissioner.	25
6. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का हटाया जाना। Removal of Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioner.	26
7. केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारिवृंद के लिए नियम बनाने की शक्ति। Power to make rules by Central Government for staff.	27

अध्याय 3—CHAPTER III

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

Functions and Powers of the Central Vigilance Commission

8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां। Functions and powers of Central Vigilance Commission.	27
8A. लोक सेवकों के संबंध में प्रारंभिक जांच पर कार्यवाई। Action on preliminary inquiry in relation to public servants.	29
8B. लोक सेवकों के संबंध में अन्वेषण पर कार्यवाई। Action on investigation in relation to public servants.	29
9. आयोग की कार्यवाहियां। Proceedings of Commission.	30

Section :	Page
10. कतिपय परिस्थितियों में सतर्कता आयुक्त का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करना। Vigilance Commissioner to act as Central Vigilance Commissioner in certain circumstances.	30
11. जांच से संबंधित शक्तियां। Power relating to inquiries.	31
11A. प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निदेशक। Director of Inquiry for making preliminary inquiry.	31
12. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विधिक कार्यवाहियां होना। Proceedings before Commission to be judicial proceedings.	31
अध्याय 4—CHAPTER IV	
व्यय और वार्षिक रिपोर्ट—Expenses and Annual Report	
13. आयोग के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना। Expences of Commission to be charged on the Consolidated Fund of India.	31
14. वार्षिक रिपोर्ट। Annual report.	31
अध्याय 5—CHAPTER V	
प्रकीर्ण—Miscellaneous	
15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। Protection of action taken in good faith.	32
16. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना। Central Vigilance Commissioner, Vigilance Commissioner and staff to be public servants.	32
17. आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजा जाना। Report of any inquiry made on reference by Commission to be forwarded to that Commission.	32
18. जानकारी मांगने की शक्ति। Power to call for information.	32
19. कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श किया जाना। Consultation with Commission in certain matters.	32
20. नियम बनाने की शक्ति। Power to make rules.	32
21. विनियम बनाने की शक्ति। Power to make regulations.	33
22. अधिसूचना, नियम आदि का संसद के समक्ष रखा जाना। Notification, rule, etc., to be laid before Parliament.	33
23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। Power to remove difficulties.	33
24. विद्यमान सतर्कता आयोग से संबंधित उपबंध। Provisions relating to existing Vigilance Commission.	33
25. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति आदि। Appointments, etc., of officers of Directorate of Enforcement.	34
26. 1946 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन। Amendment of Act 25 of 1946.	35

The Prevention of Corruption Act, 1988

No. 49 of 1988*

[9th September, 1988.]

An Act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the **Prevention of Corruption Act, 1988**.

(2) It extends to the whole of India ¹[* * *] and it applies also to all citizens of India outside India.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “election” means any election, by whatever means held under any law for the purpose of selecting Members of Parliament or of any Legislature, local authority or other public authority;
- ²[(aa) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act and the expression “prescribe” shall be construed accordingly;]
- (b) “public duty” means a duty in the discharge of which the State, the public or the community at large has an interest;

Explanation.—In this clause “State” includes a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)[†];

- (c) “public servant” means,—
 - (i) any person in the service or pay of the Government or remunerated by the Government by fees or commission for the performance of any public duty;
 - (ii) any person in the service or pay of a local authority;

* Received the assent of the President on the 9th September, 1998 and Act published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II Section 1 dated 12-9-1998.

1. The words “except the State of Jammu and Kashmir” omitted by Act No. 34 of 2019, Fifth Schedule, w.e.f. 31-10-2019.

2. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

† Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Section :	Page
27. निरसन और व्यावृत्ति।	37
Repeal and saving.	37
अनुसूची	37
Schedule	37
शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति	38
Complaint Handling Policy	38
अधिकार क्षेत्र	40
Jurisdiction	40

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946

The Delhi Special Police Establishment Act, 1946

क्रमांक 25 सन् 1946 — No. 25 of 1946

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार।	41
Short title and extent.	41
1A. निर्वचन-खंड।	41
Interpretation section.	41
2. विशेष पुलिस स्थापन का गठन और उसकी शक्तियाँ।	41
Constitution and powers of special police establishment.	41
3. अपराध, जिनका अन्वेषण विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा।	42
Offences to be investigated by special police establishment.	42
4. विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन।	42
Superintendence and administration of Special Police Establishment.	42
4A. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति।	42
Committee for appointment of Director.	42
4B. निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें।	42
Terms and conditions of service of Director.	42
4BA. अभियोजन निदेशक।	43
Director of Prosecution.	43
4C. पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति, उनकी पदावधि का विस्तारण और लघुकरण, आदि।	43
Appointment for posts of Superintendent of Police and above, extension and curtailment of their tenure, etc.	43
5. विशेष पुलिस स्थापन की शक्तियों और अधिकारिता का अन्य क्षेत्रों पर विस्तारण।	43
Extension of powers and jurisdiction of special police establishment to other areas.	43
6. शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सम्मति।	44
Consent of State Government to exercise of powers and jurisdiction.	44
6A. जांच या अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन।	44
Approval of Central Government to conduct inquiry or investigation.	44
7. 1946 के आर्डिनेंस संख्यांक 22 का निरसन।	44
Repeal of Ordinance 22 of 1946.	44

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

क्रमांक 49 सन् 1988*

[9 सितम्बर, 1988]

भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 है।

(2) इसका विस्तार 1[* * *] सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “निर्वाचन” से संसद् या किसी विधान-मण्डल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से, कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है ;

2[(कक) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और तदनुसार “विहित” पद का अर्थ लगाया जाएगा;]

(ख) “लोक कर्तव्य” से अभिप्रेत है वह कर्तव्य, जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में, “राज्य के अन्तर्गत किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)[†] की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी भी है;

(ग) “लोक सेवक” से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन रूप में पारिश्रमिक पाता है ;

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है ;

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 9 सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 12-9-1988 को प्रकाशित।

1. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2019, अनुसूची 5, द्वारा दिनांक 31-10-2019 से “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

† अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18).

- (iii) any person in the service or pay of a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*;
- (iv) any Judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions;
- (v) any person authorised by a Court of justice to perform any duty, in connection with the administration of justice, including a liquidator, receiver or commissioner appointed by such Court;
- (vi) any arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by a Court of justice or by a competent public authority;
- (vii) any person who holds an office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election;
- (viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty;

Notes

Mere performance of public duties by holder of any office cannot bring the incumbent within the meaning of public servant. **Central Bureau of Investigation, Bank Securities and Fraud Cell v. Ramesh Gelli**, AIR 2016 SC 1063 : (2016) 3 SCC 788.

Chairman/Managing Director or Director of any private bank cannot be excluded from the definition of public servant, against whom a case related to anti-corruption is registered. **Central Bureau of Investigation, Bank Securities and Fraud Cell v. Ramesh Gelli**, AIR 2016 SC 1063 : (2016) 3 SCC 788.

- (ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co-operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government or from any corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or any authority or body owned or controlled or aided by the Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*;
- (x) any person who is a chairman, member or employee of any Service Commission or Board, by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such Commission or Board for the conduct of any examination or making any selection on behalf of such Commission or Board;

* Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- (iii) कोई व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है;
- (iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्यायनिर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति या निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है ;
- (v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी है ;
- (vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा या कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है;
- (vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिये सशक्त है;
- (viii) कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित है ;

टिप्पणी

केवल किसी कार्यालय के धारक द्वारा लोक कर्तव्यों का पालन पदधारी को लोक सेवक के अर्थान्तर्गत नहीं ला सकता। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और कपट प्रकोष्ठ वि० रमेश गेल्ली, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 1063 : (2016) 3 एस० सी० सी० 788.

किसी प्राइवेट बैंक के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक या निदेशक को लोक सेवक की परिभाषा से अपवर्जित नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध के सम्बन्ध में मामला पंजीकृत किया जाता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और कपट प्रकोष्ठ वि० रमेश गेल्ली, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 1063 : (2016) 3 एस० सी० सी० 788.

- (ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है ;
- (x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिये नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है ;

* अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18).

- (xi) any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;
- (xii) any person who is an office-bearer or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution, in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the Central Government or any State Government, or local or other public authority.

Explanation 1.—Persons falling under any of the above sub-clauses are public servants, whether appointed by the Government or not.

Explanation 2.—Wherever the words “public servant” occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation.

¹[(d) “undue advantage” means any gratification whatever, other than legal remuneration.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

- (a) the word “gratification” is not limited to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money;
- (b) the expression “legal remuneration” is not restricted to remuneration paid to a public servant, but includes all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to receive.]

CHAPTER II

Appointment of Special Judges

3. Power to appoint Special Judges.—(1) The Central Government or the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as many Special Judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences, namely :—

- (a) any offence punishable under this Act; and
- (b) any conspiracy to commit or any attempt to commit or any abetment of any of the offences specified in clause (a).

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Special Judge under this Act unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

- (xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के, आयोजन या संचालन के संबंध में किया गया है;
- (xii) कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षणिक, वैज्ञानिक सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

स्पष्टीकरण 1.—उपर्युक्त उपखण्डों में से किसी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.—“लोक सेवक” शब्द जहां भी आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किये हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

1[(घ) “असम्यक् लाभ” से ऐसा कोई पारितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “पारितोषण” शब्द धनीय पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है;
- (ख) “विधिक पारिश्रमिक” पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बन्धित नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जिसका सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है।]

अध्याय 2

विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

3. विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिये इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिये जो आवश्यक हों, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं, अर्थात् :—

- (क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध ; और
- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिये षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

4. Cases triable by Special Judges.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or in any other law for the time being in force, the offences specified in sub-section (1) of Section 3 shall be tried by Special Judges only.

(2) Every offence specified in sub-section (1) of Section 3 shall be tried by the Special Judge for the area within which it was committed, or, as the case may be, by the Special Judge appointed for the case, or, where there are more Special Judges than one for such area, by such one of them as may be specified in this behalf by the Central Government.

(3) When trying any case, a Special Judge may also try any offence, other than an offence specified in Section 3, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial.

¹[(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the trial of an offence shall be held, as far as practicable, on day-to-day basis and an endeavour shall be made to ensure that the said trial is concluded within a period of two years:

Provided that where the trial is not concluded within the said period, the special Judge shall record the reasons for not having done so:

Provided further that the said period may be extended by such further period, for reasons to be recorded in writing but not exceeding six months at a time; so, however, that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily four years in aggregate.]

5. Procedure and powers of Special Judge.—(1) A Special Judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial and, in trying the accused persons, shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), for the trial of warrant cases by the Magistrates.

(2) A Special Judge may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof and any pardon so tendered shall, for the purposes of sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be deemed to have been tendered under Section 307 of that Code.

(3) Save as provided in sub-section (1) or sub-section (2), the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as they are not inconsistent with this Act, apply to the proceedings before a Special Judge; and for the purposes of the said provisions, the Court of the Special Judge shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a Special Judge shall be deemed to be a public prosecutor.

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution sub-section (4) stood as under :—

“(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a Special Judge shall, as far as practicable, hold the trial of an offence on day-to-day basis.”.

4. विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय होंगे।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वह अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिये एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहां उनमें से ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा उस मामले के लिये नियुक्त किये गये विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय होगा।

(3) किसी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न, किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

¹[(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपराध के लिए विचारण, यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाता है :

परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, वहां विशेष न्यायाधीश ऐसा न होने पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा :

परंतु यह और कि उक्त अवधि को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, एक समय में छह मास से अनधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा; तथापि उक्त अवधि, विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

5. प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां.—(1) विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किये गये बिना भी अपराध का संज्ञान कर सकता है, और वह अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारन्ट के मामलों के लिये विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) विशेष न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अपराध से संपृक्त होना या संसर्गी होना अनुमति है, विशेष न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति और प्रत्येक अन्य संपृक्त व्यक्ति को, चाहे वह उस अपराध के किये जाने में मुख्य रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो उसके अपराध से संबंधित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है और इस प्रकार दी गई क्षमा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) के प्रयोजनों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के अधीन प्रदत्त की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे; और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ, विशेष न्यायाधीश, का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (4) निम्नवत् थी :—

“(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश, अपराध का विचारण यावत्शक्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा।”।

(4) In particular and without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (3), the provisions of Sections 326 and 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Special Judge and for the purposes of the said provisions, a Special Judge shall be deemed to be a Magistrate.

(5) A Special Judge may pass upon any person convicted by him any sentence authorised by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

(6) A Special Judge, while trying an offence punishable under this Act, shall exercise all the powers and functions exercisable by a District Judge under the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 1944 (Ordinance 38 of 1944).

Notes

Under this section the power of the Special Judge to grant pardon is an unfettered power subject to stipulation made in the section itself. Such power can be exercised at any stage and there is no stipulation that power can be exercised by the Special Judge only at the stage of trial. The deeming clause which has been introduced in Section 5(2) is for a very limited purpose mentioned therein. It is not for fettering the power of the Special Judge to grant pardon in terms of Section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The purpose of introducing the deeming provision in Section 5(2) is manifest from its text, namely, the same is introduced only for the purposes of sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code and it is only for the said purpose that the sanction is deemed to have been tendered under Section 307 of the Code. Sub-sections (1) to (5) of Section 308 of the Code make it clear that the said provisions have been enacted for a different purpose, namely, for holding trial of a person for not complying with the conditions of pardon. **Bangaru Laxman v. State, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678.**

On a harmonious reading of Section 5(2), Prevention of Corruption Act with the provisions of Section 306, specially Section 306(2)(a), CrPC and Section 26, Prevention of Corruption Act, Supreme Court is of the opinion that the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, while trying offences, has the dual power of the Sessions Judge as well as that of a Magistrate. Such a Special Judge conducts the proceedings under the Code both prior to the filing of charge sheet as well as after the filing of charge sheet, for holding the trial. Therefore, the power of granting pardon, prior to the filing of the charge sheet, is within the domain of judicial discretion of the Special Judge before whom such a prayer is made. Supreme Court made it clear that in the course of holding trial, the Special Judge will not be in any way influenced by the observations in the order granting pardon but will act independently of the same. **Bangaru Laxman v. State, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678 : (2012) 1 SCC (Cri) 487.**

Special Judge may take cognizance of offence without accused being committed to him for trial and Court of Special Judge shall be deemed to be a Court of Session. Special Judge appointed under this Act, enjoys all powers conferred on court of original jurisdiction functioning under High Court except those specifically conferred under the Act. **R.N. Agrawal v. R.C. Agrawal, (2015) 1 SCC 48 : (2015) 1 SCC (Cri) 540.**

Order passed by Magistrate tendering pardon to the accomplice/approver at the stage of charge-sheet was filed before Special Judge and thereafter, case was committed to Special Judge for trial, held to be legitimate. Section 306, CrPC would get bypassed only in those cases where Special Judge takes cognizance of offence directly. **State through CBI, Chennai v. Arul Kumar, AIR 2016 SC 2551.**

(4) विशिष्टता, और उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 320 और धारा 475 के उपपबंध, जहां तक हो सके विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे, और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(5) विशेष न्यायाधीश उसके द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को कोई भी दण्डादेश दे सकता है जो उस अपराध के लिए जिसके लिए ऐसे व्यक्ति दोषसिद्ध हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत है।

(6) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश संख्यांक 38) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन क्षमा प्रदान करने की विशेष न्यायाधीश की शक्ति धारा में दी गई शर्तों के अध्वधीन स्वच्छन्द शक्ति है। ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी प्रक्रम पर किया जा सकता है तथा ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग विशेष न्यायाधीश द्वारा केवल विचारण के प्रक्रम पर किया जा सकता है धारण खण्ड जिसे धारा 5(2) में पुरःस्थापित किया गया है, उसमें उल्लिखित बहुत सीमित उद्देश्य के लिए है। इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 के निबन्धनों में विशेष न्यायाधीश की क्षमा प्रदान करने की शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए पुरःस्थापित नहीं किया गया है। धारा 5(2) में धारण खण्ड के पुरःस्थापन का प्रयोजन उसके पाठ से स्पष्ट हो जाता है, अर्थात् उसका पुरःस्थापन संहिता की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) के प्रयोजन के लिए किया गया है और यह केवल उक्त प्रयोजन के लिए संहिता की धारा 307 के अधीन मंजूरी दी गई समझी जाएगी। धारा 308 की उपधारा (1) से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त उपबन्धों को भिन्न प्रयोजन के लिए अर्थात् उस व्यक्ति के विचारण को करने के लिए जिसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया है, अधिनियमित किया गया है। **बंगारू लक्ष्मण वि० शासन, (2012) 1 एस० सी० सी० 500 : ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 678.**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306, खासतौर से धारा 306(2)(क) के उपबन्धों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 26 की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ सुव्यवस्थित पाठन पर, उच्चतम न्यायालय इस राय का है कि अपराधों का विचारण करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के पास सत्र न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियाँ होती हैं। ऐसा विशेष न्यायाधीश, विचारण करने के लिए आरोप पत्र के दाखिल करने के पश्चात् तथा आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व दोनों की स्थितियों में संहिता के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करता है। अतः आरोप पत्र के दाखिल करने के पूर्व क्षमा प्रदान करने की शक्ति, उस विशेष न्यायाधीश के न्यायिक विवेक के अधिकार क्षेत्र में है जिसके समक्ष ऐसी प्रार्थना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विचारण करने के दौरान विशेष न्यायाधीश किसी भी क्षमा प्रदान करने वाले आदेश में किए गए सम्प्रेक्षणों से प्रभावित नहीं होगा, किन्तु उससे स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा। **बंगारू लक्ष्मण वि० शासन, (2012) 1 एस० सी० सी० 500: ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 678 : (2012) 1 एस० सी० सी० (क्रिमि०) 487.**

विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किये बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है और विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सत्र न्यायालय होना माना जायेगा। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश अधिनियम के अधीन उनको विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारिता के सिवाय उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत मूल अधिकारिता के न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। **आर० एन० अग्रवाल वि० आर० सी० अग्रवाल, (2015) 1 एस० सी० सी० 48 : (2015) 1 एस० सी० सी० (क्रि०) 540.**

विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किये जाने के प्रक्रम पर सहअपराधी/इकबाल साक्षी को माफी प्रदान करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और इसके पश्चात् मामला विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया था, जो वैध होना निर्णीत किया गया था। दं० प्र० सं० की धारा 306 को केवल उन मामलों में अमान्य किया जायेगा, जहां विशेष न्यायाधीश प्रत्यक्षतः अपराध का संज्ञान लेता है। **राज्य, सी० बी० आई० चेन्नई के माध्यम से वि० अरूल कुमार, ए० आई० आर० 2016 एस० सी० 2551.**

6. Power to try summarily.—(1) Where a Special Judge tries any offence specified in sub-section (1) of Section 3, alleged to have been committed by a public servant in relation to the contravention of any special order referred to in sub-section (1) of Section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or of an order referred to in clause (a) of sub-section (2) of that section, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 5 of this Act or Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Special Judge shall try the offence in a summary way, and the provisions of Sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trial;

Provided that, in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Special Judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year:

Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Special Judge that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Special Judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witnesses who may have been examined and proceed to hear or re-hear the case in accordance with the procedure prescribed by the said Code for the trial of warrant cases by Magistrates.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily under this section in which the Special Judge passes a sentence of imprisonment not exceeding one month, and of fine not exceeding two thousand rupees whether or not any order under Section 452 of the said Code is made in addition to such sentence, but an appeal shall lie where any sentence in excess of the aforesaid limits is passed by the Special Judge.

CHAPTER III

Offences and Penalties

¹**7. Offence relating to public servant being bribed.**—Any public servant who,—

1. Sections 7, 8, 9 and 10 substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Sections 7, 8, 9 and 10 stood as under :—

“7. Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.—Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

6. संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति.—(1) जहां कोई विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विशेष आदेश, या उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के उल्लंघन की बाबत किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना अभिकथित है, वहां इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा, और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध, यथाशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या उसके अनुक्रम में, विशेष न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक के कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़ सकता है या, किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायाधीश, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा हो चुकी हो पुनः बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारन्ट के मामले के विचारण के लिए उक्त संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

(2) इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में, जिसमें विशेष न्यायाधीश एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त कोई आदेश पारित किया जाता हो, या नहीं, किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी, जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दण्डादेश पारित किया जाता है, वहां अपील होगी।

अध्याय 3

अपराध और शास्तियां

¹[7. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध.—ऐसा कोई लोक सेवक जो,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से धारा 7, धारा 8, धारा 9 तथा धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 7, धारा 8, धारा 9 तथा धारा 10 निम्नवत थी :—

“7. लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण लिया जाना.—जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई पारितोषण इस बात के करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाये या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद् या किसी विधान-मण्डल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

- (a) obtains or accepts or attempts to obtain from any person, an undue advantage, with the intention to perform or cause performance of public duty improperly or dishonestly or to forbear or cause

Explanations.—

- (a) "Expecting to be a public servant". If a person not expecting to be in office obtains a gratification by deceiving others into a belief that he is about to be in office, and that he will then serve them, he may be guilty of cheating, but he is not guilty of the offence defined in this section.
 - (b) "Gratification". The word "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or to gratifications estimable in money.
 - (c) "Legal remuneration". The words "legal remuneration" are not restricted to remuneration which a public servant can lawfully demand, but include all remuneration which he is permitted by the Government or the organisation, which he serves, to accept.
 - (d) "A motive or reward for doing". A person who receives a gratification as a motive or reward for doing what he does not intend or is not in a position to do, or has not done, comes within this expression.
 - (e) Where a public servant induces a person erroneously to believe that his influence with the Government has obtained a title for that person and, thus, induces that person to give the public servant, money or any other gratification as a reward for this service, the public servant has committed an offence under this section.
- 8. Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant.**—Whoever accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means, any public servant, whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
- 9. Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant.**—Whoever accepts or obtains or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, as a motive or reward for inducing, by the exercise of personal influence, any public servant whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
- 10. Punishment for abetment by public servant of offences defined in Section 8 or 9.**—Whoever, being a public servant, in respect of whom either of the offences defined in Section 8 or Section 9 is committed, abets the offence, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine."

- (क) किसी व्यक्ति से, इस आशय से कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे वह स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से

स्पष्टीकरण.—

- (क) “लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए”—यदि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए, दूसरों की प्रवचना से यह विश्वास करा कर कि वह किसी पद पर होने वाला है और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा, उससे परितोषण अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।
- (ख) “परितोषण”—“परितोषण” शब्द धन संबंधी परितोषण तक, या उन परितोषणों तक ही, जो धन में आंके जाने योग्य हैं, निर्बन्धित नहीं है।
- (ग) “वैध पारिश्रमिक”—“वैध पारिश्रमिक” शब्द उस पारिश्रमिक तक ही निर्बन्धित नहीं है जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है जिसको प्रतिगृहीत करने के लिये उस सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गई है।
- (घ) “करने के लिए हेतुक या इनाम”—वह व्यक्ति जो वह कार्य करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में, जिसके करने का उसका आशय नहीं है या जिसे करने की स्थिति में वह नहीं है या जो उसने नहीं किया है, परितोषण प्राप्त करता है, इस पद के अन्तर्गत आता है।
- (ङ) जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को कोई हक अभिप्राप्त हुआ है, और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में लोक सेवक को धन या कोई अन्य परितोषण देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो यह इस धारा के अधीन लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध होगा।
8. लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना.—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिये उत्प्रेरित करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप से किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाये अथवा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।
9. लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना.—जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाये अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल में या धारा 2 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।
10. लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिये दण्ड.—जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जिसके बारे में उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाए, जो धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित हैं, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।”।

forbearance to perform such duty either by himself or by another public servant; or

- (b) obtains or accepts or attempts to obtain, an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty or for forbearing to perform such duty either by himself or another public servant; or
- (c) performs or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purpose of this section, the obtaining, accepting, or the attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offence even if the performance of a public duty by public servant, is not or has not been improper.

Illustration.—A public servant, 'S' asks a person, 'P' to give him an amount of five thousand rupees to process his routine ration card application on time. 'S' is guilty of an offence under this section.

Explanation 2.—For the purpose of this section,—

- (i) the expressions "obtains" or "accepts" or "attempts to obtain" shall cover cases where a person being a public servant, obtains or "accepts" or attempts to obtain, any undue advantage for himself or for another person, by abusing his position as a public servant or by using his personal influence over another public servant; or by any other corrupt or illegal means;
- (ii) it shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts, or attempts to obtain the undue advantage directly or through a third party.

7A. Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.—Whoever accepts or obtains or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant, by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

8. Offence relating to bribing of a public servant.—(1) Any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons, with intention—

या बेइमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न किया जाए या न करवाया जाए; या

- (ख) किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या
- (ग) किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करता है या किसी अन्य लोक/सेवक को किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करने हेतु प्रेरित करता है या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का कार्यपालन करने से प्रविरत रहता है; या

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यपालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टान्त.—एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति, 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (i) "अभिप्राप्त करता है" या "प्रतिगृहीत करता है" या "अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है" पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किन्हीं अन्य भष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या "प्रतिगृहीत करता है" या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
- (ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक् लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

7क. भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक् लाभ लेना.—जो कोई, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को, स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष के कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

8. किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध.—(1) ऐसे कोई व्यक्ति जो, निम्नलिखित आशय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन करता है—

- (i) to induce a public servant to perform improperly a public duty; or
- (ii) to reward such public servant for the improper performance of public duty;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both:

Provided that the provisions of this section shall not apply where a person is compelled to give such undue advantage:

Provided further that the person so compelled shall report the matter to the law enforcement authority or investigating agency within a period of seven days from the date of giving such undue advantage:

Provided also that when the offence under this section has been committed by commercial organisation, such commercial organisation shall be punishable with fine.

Illustration.—A person, 'P' gives a public servant, 'S' an amount of ten thousand rupees to ensure that he is granted a license, over all the other bidders. 'P' is guilty of an offence under this sub-section.

Explanation.—It shall be immaterial whether the person to whom an undue advantage is given or promised to be given is the same person as the person who is to perform, or has performed, the public duty concerned, and, it shall also be immaterial whether such undue advantage is given or promised to be given by the person directly or through a third party.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person, if that person, after informing a law enforcement authority or investigating agency, gives or promises to give any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in its investigation of the offence alleged against the later.

9. Offence relating to bribing a public servant by a commercial organisation.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a commercial organisation, such organisation shall be punishable with fine, if any person associated with such commercial organisation gives or promises to give any undue advantage to a public servant intending—

- (a) to obtain or retain business for such commercial organisation,¹ or
- (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for such commercial organisation:

Provided that it shall be a defence for the commercial organisation to prove that it had in place adequate procedures in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct.

(2) For the purposes of this section, a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant, if he is alleged to have committed the offence under section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence.

(3) For the purposes of section 8 and this section,—

- (a) "commercial organisation" means—

- (i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए; या
- (ii) किसी लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश है :

परंतु यह और कि इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक् लाभ देने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा :

परंतु यह भी कि जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

टिप्पणी.—कोई व्यक्ति 'पी', लोक सेवक 'एस' को, यह सुनिश्चित करने के लिए दस हजार की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। 'पी' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण.—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे असम्यक् लाभ दिया गया है या देने का वचन दिया गया है वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कर्तव्य करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा असम्यक् लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाया जाता है या पहुंचाने का वचन दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, यदि इस व्यक्ति ने किसी विधि का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को सूचना देने के पश्चात् विधि का प्रवर्तन करने वाले ऐसे प्राधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को पश्चात्पूर्ति के विरुद्ध अभिकथित अपराध से उसके अन्वेषण में सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है।

9. किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहां ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को असम्यक् लाभ देता है या देने का वचन देता है,

- (क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से ; या
- (ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से :

परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में, जो विहित किए जाएं पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि उसने किसी लोक सेवक को असम्यक् लाभ दिया है या देने का वचन दिया है, यदि उसने अभिकथित रूप से धारा 8 के अधीन अपराध किया है, चाहे ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो अथवा नहीं।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “वाणिज्यिक संगठन” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) a body which is incorporated in India and which carries on a business, whether in India or outside India;
- (ii) any other body which is incorporated outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;
- (iii) a partnership firm or any association of persons formed in India and which carries on a business whether in India or outside India; or
- (iv) any other partnership or association of persons which is formed outside India and which carries on a business, or part of a business, in any part of India;
- (b) "business" includes a trade or profession or providing service;
- (c) a person is said to be associated with the commercial organisation, if such person performs services for or on behalf of the commercial organisation irrespective of any promise to give or giving of any undue advantage which constitutes an offence under sub-section (1).

Explanation 1.—The capacity in which the person performs services for or on behalf of the commercial organisation shall not matter irrespective of whether such person is employee or agent or subsidiary of such commercial organisation.

Explanation 2.—Whether or not the person is a person who performs services for or on behalf of the commercial organisation is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between such person and the commercial organisation.

Explanation 3.—If the person is an employee of the commercial organisation, it shall be presumed unless the contrary is proved that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organisation.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the offence under sections 7A, 8 and this section shall be cognizable.

(5) The Central Government shall, in consultation with the concerned stakeholders including departments and with a view to preventing persons associated with commercial organisations from bribing any person, being a public servant, prescribe such guidelines as may be considered necessary which can be put in place for compliance by such organisations.

10. Person in charge of commercial organisation to be guilty of offence.—Where an offence under section 9 is committed by a commercial organisation, and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organisation, such director, manager, secretary or other officer shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this section, "director", in relation to a firm means a partner in the firm.]

- (i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है;
 - (ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;
 - (iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और जो भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है; या
 - (iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है और जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;
- (ख) “कारबार” के अंतर्गत कोई व्यापार या वृत्ति या सेवा, उपलब्ध कराना है;
- (ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसा कोई असम्यक् लाभ, जो उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का गठन करता है, देने का वचन दिए जाने या ऐसा कोई लाभ दिये जाने पर ध्यान न देते हुए वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से कोई सेवाएं प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण 1.—वह हैसियत जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके।

स्पष्टीकरण 3.—यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान की हैं।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 7क, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, संबद्ध पणधारियों जिसके अंतर्गत विभाग भी हैं, के परामर्श से और वाणिज्यिक संगठनों से सहयोजित व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, रिश्वत देने से निवारित करने के विचार से ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त को विहित करेगी, जो आवश्यक समझी जाएं और जो ऐसे संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु स्थापित किए जा सकते हैं।

10. वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना.—जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, और न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाना साबित हो जाता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी होगा अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा तथा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।]

11. Public servant obtaining ¹[undue advantage], without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant.—Whoever, being a public servant, accepts or obtains ²[* * *], or attempts to obtain for himself, or for any other person, any ³[undue advantage] without consideration, or for a consideration which he knows to be inadequate, from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant, or having any connection with the ⁴[official functions or public duty] of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

⁵[**12. Punishment for abetment of offences.**—Whoever abets any offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than three years, but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]

13. Criminal misconduct by a public servant.—⁶[(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words “valuable thing”.
2. The words “or agrees to accept” omitted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.
3. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words “valuable thing”.
4. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words “official functions”.
5. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 12 stood as under :—

“12. Punishment for abetment of offences defined in Section 7 or 11.—Whoever abets any offence punishable under Section 7 or Section 11 whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.”.

6. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution sub-section (1) stood as under :—

“(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,—

- (a) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward such as is mentioned in Section 7; or
- (b) if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person, any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been, or to be, or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned; or

11. लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, ¹[असम्यक् लाभ] अभिप्राप्त करता है.—जो कोई लोक सेवक होते हुये, अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, या है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, ²[पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्यों] से वह व्यक्ति संपृक्त है, अथवा किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है नातेदारी रखता है, किसी ³[असम्यक् लाभ] को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा, ⁴[* * *] या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

⁵[12. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड.—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।]

13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार.—⁶[(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “मूल्यवान चीज” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “पदीय कृत्यों” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “मूल्यवान चीज” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा” शब्द विलुप्त।
5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 12 निम्नवत थी :—

“12. धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड.—जो कोई धारा 7 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।”।

5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (1) निम्नवत थी :—

“(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाता है—

- (क) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है किसी व्यक्ति से अभ्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या
- (ख) यदि वह अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जा सकने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से संबद्ध रहा होना, होना या हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति में हितबद्ध या उससे संबंधित होना वह जानता है, अभ्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

- (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
- (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.

Explanation 1.—A person shall be presumed to have intentionally enriched himself illicitly if he or any person on his behalf, is in possession of or has, at any time during the period of his office, been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income which the public servant cannot satisfactorily account for.

Explanation 2.—The expression “known sources of income” means income received from any lawful sources.]

(2) Any public servant, who commits criminal misconduct shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ¹[four years] but which may extend to ²[ten years] and shall also be liable to fine.

³[**14. Punishment for habitual offender.**—Whoever convicted of an offence under this Act subsequently commits an offence punishable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.]

- (c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do; or
- (d) if he,—
 - (i) by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or
 - (ii) by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or
 - (iii) while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest; or
- (e) if he or any person on his behalf, is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income.

Explanation.—For the purposes of this section, “known sources of income” means income received from any lawful source and such receipt has been intimated in accordance with the provisions of any law, rules or orders for the time being applicable to a public servant.”.

1. Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words “one year”.
2. Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words “seven years”.
3. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 14 stood as under :—

“14. Habitual committing of offence under Sections 8, 9 and 12.—Whoever habitually commits,—

- (a) an offence punishable under Section 8 or Section 9; or
- (b) an offence punishable under Section 12;

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.”.

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी सम्पत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1.— किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनानुपातिक धनीय संसाधन या सम्पत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2.— पद “आय के ज्ञात स्रोत” से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।]

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा इतनी अवधि के लिए, जो 1[चार वर्ष] से कम की न होगी किन्तु जो 2[दस वर्ष] तक की हो सकेगी, कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

³[14. **आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड.**— जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।]

(ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है ; या

(घ) यदि वह—

(i) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है ; या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है, या

(iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करके किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा बिना किसी लोक हित के अभिप्राप्त करता है ; या

(ङ) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी सम्पत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अननुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक, समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आय के ज्ञात स्रोत” से अभिप्रेत है किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय, जिसकी प्राप्ति की संसूचना, लोक सेवक को तत्समय लागू किसी विधि, नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसार दे दी गई है।”।

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से “सात वर्ष” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 14 निम्नवत थी :—

“14. धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासतः अपराध करना.— जो कोई—

(क) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा ; या

(ख) धारा 12 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करेगा ;

वह इतनी अवधि के लिए जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।”।

15. Punishment for attempt.—Whoever attempts to commit an offence referred to in ¹[clause (a)] of sub-section (1) of Section 13 shall be punishable with imprisonment for a term ²[which shall not be less than two years but which may extend to five years] and with fine.

16. Matters to be taken into consideration for fixing fine.—Where a sentence of fine is imposed under ³[section 7 or section 8 or section 9 or section 10 or section 11 or sub-section (2) of section 13 or section 14 or section 15], the Court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offence or where the conviction is for an offence referred to in ⁴[clause (b)] of sub-section (1) of Section 13, the pecuniary resources or property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily.

CHAPTER IV

Investigation into Cases under the Act

17. Persons authorised to investigate.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), no police officer below the rank,—

- (a) in the case of the Delhi Special Police Establishment, of an Inspector of Police;
- (b) in the metropolitan areas of Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad and in any other metropolitan area notified as such under sub-section (1) of Section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), of an Assistant Commissioner of Police;
- (c) elsewhere, of a Deputy Superintendent of Police or a police officer of equivalent rank;

shall investigate any offence punishable under this Act without the order of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class, as the case may be, or make any arrest therefor without a warrant:

Provided that if a police officer not below the rank of an Inspector of Police is authorised by the State Government in this behalf by general or special order, he may also investigate any such offence without the order of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class, as the case may be, or makes arrest therefor without a warrant:

Provided further that an offence referred to in ⁵[clause (b) of sub-section (1)] of Section 13 shall not be investigated without the order of a police officer not below the rank of a Superintendent of Police.

-
1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets and letters "clause (c) or clause (d)".
 2. Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014, for the words "which may extend to three years".
 3. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets and figures, "sub-section (2) of section 13 or section 14".
 4. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, brackets and letter "clause (e)".
 5. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words, brackets, letter and figure "clause (e) of sub-section (1)".

15. प्रयत्न के लिये दंड.—जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) के ¹[खंड (क)] में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, ²[जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी], और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

16. जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें.—जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय, वहां जहां जुर्माने का दंड ³[धारा 7, या धारा 8 या धारा 9 या धारा 10 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14 या धारा 15] के अधीन अधिरोपित किया गया है उस रकम या सम्पत्ति के मूल्य का, यदि कोई हो, जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा वहां जहां दोषसिद्धि धारा 13 की उपधारा (1) के ⁴[खंड (ख)] में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है, उस खण्ड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधन या सम्पत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखेगा।

अध्याय 4

इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण

17. अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी,—

- (क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में, पुलिस निरीक्षक ;
- (ख) मुंबई कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त ;
- (ग) अन्यत्र, उप-पुलिस अधीक्षक, या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति; महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिये कोई गिरफ्तारी, वारंट के बिना नहीं करेगा ;

परन्तु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना, कर सकेगा :

परन्तु यह और कि धारा 13 की ⁵[उपधारा (1) के खंड (ख)] में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

-
1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “खंड (ग) या खंड (घ)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से “जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 3. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “खंड (ड)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “उपधारा (1) के खंड (ड)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Notes

There is no bar in the Act for court to authorise an officer below the rank of Inspector of Police to investigate. *Union of India v. T. Nathamuni*, (2014) 16 SCC 285 : (2015) 3 SCC (Cri) 411.

¹[17A. Enquiry or Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.—(1) No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval—

- (a) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of the Union, of that Government;
- (b) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of a State, of that Government;
- (c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office, at the time when the offence was alleged to have been committed:

Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person:

Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of three months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of one month.]

18. Power to inspect bankers' books.—If from information received or otherwise, a police officer has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered to investigate under Section 17 and considers that for the purpose of investigation or enquiry into such offence, it is necessary to inspect any bankers' books, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, he may inspect any bankers' books in so far as they relate to the accounts of the persons suspected to have committed that offence or of any other person suspected to be holding money on behalf of such person, and take or cause to be taken certified copies of the relevant entries therefrom, and the bank concerned shall be bound to assist the police officer in the exercise of his powers under this section:

Provided that no power under this section in relation to the accounts of any person shall be exercised by a police officer below the rank of a Superintendent of Police, unless he is specially authorised in this behalf by a police officer of or above the rank of a Superintendent of Police.

Explanation.—In this section, the expressions “bank” and “bankers’ books” shall have the meanings respectively assigned to them in the Bankers’ Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891).

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

टिप्पणी

अधिनियम में अन्वेषण करने के लिए पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से अवर अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए न्यायालय के लिए कोई वर्जन नहीं है। भारत संघ वि० टी० नाथामुनि, (2014) 16 एस० सी० सी० 285 : (2015) 3 एस० सी० सी० (क्रि०) 411.

¹[17क. लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण.—(1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है,—

- (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;
- (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के :

परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिग्रहीत करने या प्रतिग्रहीत करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।]

18. बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति.—यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किये जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 17 के अधीन सशक्त है और और वह समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं बैंककार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी वह किन्हीं बैंककार बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक वे उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे अपराध किये जाने का संदेह है या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किये जाने का संदेह है, लेखाओं से संबंधित हैं, और उसमें से सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा या लिवा सकेगा तथा संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी को, इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में, सहायता करने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति के लेखाओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में “बैंक” और “बैंककार बही” पदों के वे ही अर्थ होंगे जो बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) में है।

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

¹[CHAPTER IV-A**Attachment and Forfeiture of Property**

18A. Provisions of Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 to apply to attachment under this Act.—(1) Save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall, as far as may be, apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this Act.

(2) For the purposes of this Act, the provisions of the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord. 38 of 1944) shall have effect, subject to the modification that the references to “District Judge” shall be construed as references to “Special Judge”.]

CHAPTER V

Sanction for Prosecution and other Miscellaneous Provisions

19. Previous sanction necessary for prosecution.—(1) No Court shall take cognizance of an offence punishable under ²[Sections 7, 11, 13 and 15] alleged to have been committed by a public servant, except with the previous sanction ³[save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (No. 1 of 2014)],—

- (a) in the case of a person ⁴[who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed] in connection with the affairs of the Union and is not removable from his office save by or with the sanction of the Central Government, of that Government;
- (b) in the case of a person ⁵[who is employed, or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed] in connection with the affairs of a State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government;
- (c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office :

⁶[Provided that no request can be made, by a person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, to the appropriate Government or competent authority, as the case may be, for the previous sanction of such Government or authority for taking cognizance by the court of any of the offences specified in this sub-section, unless—

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.
 2. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words and figures “sections 7, 10, 11, 13 and 15”.
 3. Inserted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.
 4. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words “who is employed”.
 5. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the words “who is employed”.
 6. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

1[अध्याय 4क

सम्पत्ति की कुर्की और समपहरण

18क. दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना.—(1) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश सं० 38) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई सम्पत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई सम्पत्ति को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश सं० 38) के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे “जिला न्यायाधीश” के प्रति निर्देश का “विशेष न्यायाधीश” के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा।]

अध्याय 5

अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबन्ध

19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना.—(1) कोई न्यायालय 2[धारा 7, धारा 11, धारा 13 और धारा 15] के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की 3[लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2014) में यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय] पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा—

- (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, 4[यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था] और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार ;
- (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में 5[यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था] और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार ;
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिये, सक्षम प्राधिकारी:

6[परन्तु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि,—

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15” शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “नियोजित है,” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “नियोजित है,” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से अंतःस्थापित।

- (i) such person has filed a complaint in a competent court about the alleged offences for which the public servant is sought to be prosecuted; and
- (ii) the court has not dismissed the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding:

Provided further that in the case of request from the person other than a police officer or an officer of an investigation agency or other law enforcement authority, the appropriate Government or competent authority shall not accord sanction to prosecute a public servant without providing an opportunity of being heard to the concerned public servant:

Provided also that the appropriate Government or any competent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:

Provided also that in case where, for the purpose of grant of sanction for prosecution, legal consultation is required, such period may, for the reasons to be recorded in writing, be extended by a further period of one month:

Provided also that the Central Government may, for the purpose of sanction for prosecution of a public servant, prescribe such guidelines as it considers necessary.

Explanation.—For the purposes of sub-section (1), the expression “public servant” includes such person—

- (a) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed; or
- (b) who has ceased to hold the office during which the offence is alleged to have been committed and is holding an office other than the office during which the offence is alleged to have been committed.]

(2) Where for any reason whatsoever any doubt arises as to whether the previous sanction as required under sub-section (1) should be given by the Central Government or the State Government or any other authority, such sanction shall be given by that Government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office at the time when the offence was alleged to have been committed.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—

- (a) no finding, sentence or order passed by a Special Judge shall be reversed or altered by a Court in appeal, confirmation or revision on the ground of the absence of, or any error, omission or irregularity in, the sanction required under sub-section (1), unless in the opinion of that court, a failure of justice has in fact been occasioned thereby;

- (i) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में, जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो; और
- (ii) न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निदेश न दे दिया हो :

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, संबद्ध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा :

परंतु समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है, वहां ऐसी अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, “लोकसेवक” पद में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं—

- (क) ऐसा व्यक्ति, जिसने उस अवधि के दौरान, जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था; या
- (ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने उस अवधि के दौरान, जिसमें अभिकथित रूप से अपराध किया गया है, पदधारण करना बंद कर दिया था और वह उस पद से भिन्न कोई अन्य पद धारण कर रहा था, जब अभिकथित रूप से अपराध किया गया है।]

(2) जहां किसी भी कारणवश इस बाबत् शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिये वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी,—

- (क) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश किसी न्यायालय द्वारा अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में, अभियोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उलटा या परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ है ;

- (b) no Court shall stay the proceedings under this Act on the ground of any error, omission or irregularity in the sanction granted by the authority, unless it is satisfied that such error, omission or irregularity has resulted in a failure of justice;
- (c) no Court shall stay the proceedings under this Act on any other ground and no Court shall exercise the powers of revision in relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceedings.

(4) In determining under sub-section (3) whether the absence of, or any error, omission or irregularity in, such sanction has occasioned or resulted in a failure of justice, the Court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceedings.

Explanation.—For the purposes of this section,—

- (a) error includes competency of the authority to grant sanction;
- (b) a sanction required for prosecution includes reference to any requirement that the prosecution shall be at the instance of a specified authority or with the sanction of a specified person or any requirement of a similar nature.

Notes

Sanction is not intended to be, nor is an empty formality but a solemn and sacrosanct act which affords protection to government servants against frivolous prosecutions and it is a weapon to ensure discouragement of frivolous and vexatious prosecution and is a safeguard for the innocent but not a shield for the guilty. Validity of a sanction order would depend upon the material placed before the sanctioning authority and the consideration of the material implies application of mind. **Dinesh Kumar v. Airport Authority of India**, (2012) 1 SCC 532 : AIR 2012 SC 858 : 2012 CriLJ 699 : (2012) 1 SCC (Cri) 509.

Sanction to prosecute appellant granted cannot be declared to be illegal when it is not found to be granted in an absolutely mechanical manner. **Balbhadra Parashar v. State of Madhya Pradesh**, AIR 2016 SC 1554.

Competent authority cannot withdraw the sanction once granted. **D.L. Rangotha v. State of M.P.**, (2015) 12 SCC 733.

Sanction refused by State Government for prosecution of appellant, while he was in service, cannot be prosecuted after retirement. **D.L. Rangotha v. State of M.P.**, (2015) 12 SCC 733.

¹[20. **Presumption where public servant accepts any undue advantage.**—Where, in any trial of an offence punishable under section 7 or under section 11,

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to substitution Section 20 stood as under :—

"20. **Presumption where public servant accepts gratification other than legal remuneration.**—(1) Where, in any trial of an offence punishable under Section 7 or Section 11 or clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of Section 13 it is proved that an accused person has accepted or obtained or has agreed to accept or attempted to obtain for himself, or for any other person, any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing from any person, it shall

- (ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है ;
- (ग) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्यवाहियां नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने में कि ऐसी मंजूरी के न होने से या उसमें किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय हुआ या परिणामित हुआ है या नहीं, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्यवाहियों के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिये था या नहीं।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

- (क) त्रुटि के अन्तर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है ;
- (ख) अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी के अन्तर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी है कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या समतुल्य प्रकृति की कोई अपेक्षा भी है।

टिप्पणी

अभियोजन के लिए मंजूरी न तो ऐसा आशयित है, न ही खाली औपचारिकता है किन्तु यह एक सत्यनिष्ठ एवं अलंघनीय कार्य है जो शासकीय सेवकों को तुच्छ अभियोजन से संरक्षण प्रदान करता है तथा यह तुच्छ एवं तंग करने वाले अभियोजन का निरुत्साहित करना सुनिश्चित करने वाला हथियार है तथा यह निर्दोष के लिए बचाव है किन्तु दोषी के लिये ढाल नहीं है। किसी मंजूरी के आदेश की वैधता मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष रखी गई सामग्री पर निर्भर करती है तथा उस सामग्री पर विचार, मनोनियोग किया जाना विवक्षित करता है। दिनेश कुमार वि० एयरपोर्टे अथोरिटी ऑफ इण्डिया, (2012) 1 एस० सी० सी० 532 : ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 858 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 699 : (2012) 1 एस० सी० सी० (क्रिमि०) 509.

अपीलार्थी को अभियोजित करने के लिए प्रदत्त स्वीकृति अवैध होना घोषित नहीं की जा सकती, जब उसे आत्यन्तिक रूप से यांत्रिक ढंग में प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता। बलभद्र पराशर वि० मध्य प्रदेश राज्य, ए० आई० आर 2016 एस० सी० 1554.

सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति को वापस नहीं ले सकता—यदि एक बार प्रदान की गई है। डी० एल० रंगोठा वि० म० प्र० राज्य, (2015) 12 एस० सी० सी० 733.

अपीलार्थी के अभियोजन के लिए, जब वह सेवा में था, राज्य सरकार द्वारा नामंजूर की गयी स्वीकृति, उसे सेवा निवृत्ति के पश्चात् अभियोजित नहीं किया जा सकता। डी० एल० रंगोठा वि० म० प्र० राज्य, (2015) 12 एस० सी० सी० 733.

¹[20. जहां लोक सेवक असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करता है वहां उपधारणा.—जहां धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण में यह साबित कर दिया

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 20 निम्नवत थी :—

“20. जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहां उपधारणा.—(1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई पारितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमति दी है या

it is proved that a public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempted to obtain for himself, or for any other person, any undue advantage from any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or attempted to obtain that undue advantage, as a motive or reward under section 7 for performing or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly either by himself or by another public servant or, as the case may be, any undue advantage without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate under section 11.]

21. Accused person to be a competent witness.—Any person charged with an offence punishable under this Act, shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial:

Provided that,—

- (a) he shall not be called as a witness except at his own request;
- (b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial;
- (c) he shall not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence with which he is charged, or is of bad character, unless—
 - (i) the proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged; or
 - (ii) he has personally or by his pleader asked any question of any witness for the prosecution with a view to establish his own good character, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defence is such as

be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or agreed to accept or attempted to obtain that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in Section 7 or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.

- (2) Where in any trial of an offence punishable under Section 12 or under clause (b) of Section 14, it is proved that any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by an accused person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in Section 7, or as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Court may decline to draw the presumption referred to in either of the said sub-sections, if the gratification or thing aforesaid is, in its opinion, so trivial that no interference of corruption may fairly be drawn.”.

जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति या तो स्वयं या किसी अन्य लोकसेवक के द्वारा किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादित करने या निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन हेतु या इनाम के रूप में उस असम्यक् लाभ को, बिना किसी प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसके बारे वह यह जानता है कि वह धारा 11 के अधीन अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।]

21. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना.— इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिये सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध या उसी विचारण में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये आरोपों को साबित करने के लिये शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा :

परन्तु—

- (क) साक्षी के रूप में वह अपनी प्रार्थना पर के सिवाय आहूत नहीं किया जाएगा ;
- (ख) साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा अथवा इससे उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा उत्पन्न नहीं होगी ;
- (ग) कोई ऐसा प्रश्न जिसकी प्रकृति यह दर्शित करने की है कि जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससे भिन्न अपराध उसने किया है यदि वह उसके लिये सिद्धदोष हो चुका है, या वह बुरे चरित्र का है, उससे उस दशा में के सिवाय न पूछा जाएगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसमें—
 - (i) इस बात का सबूत कि उसने ऐसा अपराध किया है या उसके लिये वह सिद्धदोष हो चुका है, यह दर्शित करने के लिये ग्राह्य साक्ष्य है कि वह उस अपराध का दोषी है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है ; या
 - (ii) उसने स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा अभियोजन पक्ष के किसी साक्षी से अपना अच्छा चरित्र सिद्ध करने की दृष्टि से कोई प्रश्न पूछा है या अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया है अथवा प्रतिरक्षा का स्वरूप या संचालन इस प्रकार

अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ; वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

- (2) जहां धारा 12 के अधीन या धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज दी है या देने की प्रस्थापना की है, या देने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता हो, दिया है या देने की प्रस्थापना की है या देने का प्रयत्न किया है।
- (3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा यदि पूर्वोक्त परितोषण या चीज, उसकी राय में, इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता।''।

- to involve imputations on the character of the prosecutor or of any witness for the prosecution; or
- (iii) he has given evidence against any other person charged with the same offence.

22. The Code of Criminal Procedure, 1973 to apply subject to certain modifications.—The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall in their application to any proceeding in relation to an offence punishable under this Act have effect as if,—

- (a) in sub-section (1) of Section 243, for the words “The accused shall then be called upon”, the words “The accused shall then be required to give in writing at once or within such time as the Court may allow, a list of the persons (if any) whom he proposes to examine as his witnesses and of the documents (if any) on which he proposes to rely and he shall then be called upon” had been substituted;
- (b) in sub-section (2) of Section 309, after the third proviso, the following proviso had been inserted, namely :—
“Provided also that the proceeding shall not be adjourned or postponed merely on the ground that an application under Section 397 has been made by the party to the proceeding.”;
- (c) after sub-section (2) of Section 317, the following sub-section had been inserted, namely :—
“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the Judge may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, proceed with enquiry or trial in the absence of the accused or his pleader and record the evidence of any witness subject to the right of the accused to recall the witness for cross-examination.”;
- (d) in sub-section (1) of Section 397, before the Explanation, the following proviso had been inserted, namely :—
“Provided that where the powers under this section are exercised by a Court on an application made by a party to such proceedings, the Court shall not ordinarily call for the record of the proceedings :—
- (a) without giving the other party an opportunity of showing cause why the record should not be called for; or
- (b) if it is satisfied that an examination of the record of the proceedings may be made from the certified copies.”.

23. Particulars in a charge in relation to an offence under ¹[Section 13(1)(a)].—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), when an accused is charged with an offence under

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, figures, brackets and letter “section 13 (1) (c)”.

का है कि उसमें अभियोजक के या अभियोजन पक्ष के लिए किसी साक्षी के चरित्र पर लांछन अंतर्गत है ; या

- (iii) उसने उसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया है।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कुछ उपान्तरणों के अधीन लागू होना.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही पर लागू होने में ऐसे प्रभावी होंगे मानो—

- (क) धारा 243 की उपधारा (1) में “तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी” शब्दों के स्थान पर “तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरन्त या इतने समय के भीतर जितना न्यायालय अनुज्ञात करे, उन व्यक्तियों की (यदि कोई हों) जिनकी वह अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करना चाहता है और उन दस्तावेजों की (यदि कोई हों) जिन पर वह निर्भर करना चाहता है, एक लिखित सूची दे, और तब उससे अपेक्षा की जाएगी” शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गए हों ;
- (ख) धारा 309 की उपधारा (1) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया था, अर्थात् :—
“परन्तु यह और कि कार्यवाही मात्र इस आधार पर कि कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन आवेदन किया गया है, स्थगित या मुलतवी नहीं की जाएगी।”;
- (ग) धारा 317 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो और ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहते हुए, लेखबद्ध कर सकता है।”;
- (घ) धारा 397 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात् :—
“परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग ऐसी कार्यवाहियों के किसी एक पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर किया जाता है, वहां वह न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख को मामूली तौर पर—
(क) दूसरे पक्षकार को इस बात का हेतुक दर्शित करने का अवसर दिये बिना नहीं मंगाएगा कि अभिलेख क्यों न मंगाया जाए ; या
(ख) उस दशा में नहीं मंगाएगा जिसमें उसका यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा प्रमाणित प्रतियों से की जा सकती है।”।

23. ¹[धारा 13(1)(क)] के अधीन अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, जब

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “धारा 13 (1) (ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[clause (a)] of sub-section (1) of Section 13, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of Section 219 of the said Code:

Provided that the time included between the first and last of such dates shall not exceed one year.

24. ²[* * *]

25. Military, Navy and Air Force or other law not to be affected.—(1) Nothing in this Act shall affect the jurisdiction exercisable by, or the procedure applicable to, any Court or other authority under the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950), the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of any such law as is referred to in sub-section (1), the Court of a Special Judge shall be deemed to be a Court of ordinary criminal justice.

26. Special Judges appointed under Act 46 of 1952 to be Special Judges appointed under this Act.—Every Special Judge appointed under the Criminal Law Amendment Act, 1952 for any area or areas and is holding office on the commencement of this Act shall be deemed to be a Special Judge appointed under Section 3 of this Act for that area or areas and, accordingly, on and from such commencement, every such Judge shall continue to deal with all the proceedings pending before him on such commencement in accordance with the provisions of this Act.

Notes

On a harmonious reading of Section 5(2), Prevention of Corruption Act with the provisions of Section 306, specially Section 306(2)(a), CrPC and Section 26, Prevention of Corruption Act, this Court is of the opinion that the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, while trying offences, has the dual power of the Sessions Judge as well as that of a Magistrate. Such a Special Judge conducts the proceedings under the Code both prior to the filing of charge sheet as well as after the filing of charge sheet, for holding the trial. Therefore, the power of granting pardon, prior to the filing of the charge sheet, is within the domain of judicial discretion of the Special Judge before whom such a prayer is made. Supreme Court made it clear that in the course of holding trial, the Special Judge

1. Substituted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018, for the word, brackets and letter "clause (c)".

2. Omitted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018. Prior to omission Section 24 stood as under :—

"24. Statement by bribe giver not to subject him to prosecution.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by a person in any proceeding against a public servant for an offence under Sections 7 to 11 or under Section 13 or Section 15, that he offered or agreed to offer any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing to the public servant, shall not subject such person to a prosecution under Section 12."

किसी अपराधी पर धारा 13 की उपधारा (1) के 1[खंड (क)] के अधीन किसी बात का आरोप है, तब उसे आरोप में उस सम्पत्ति को, जिसके संबंध में अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या निश्चित तारीख को विनिर्दिष्ट किए बिना, वर्णित करना पर्याप्त होगा और इस प्रकार विरचित आरोप उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी तारीखों में से प्रथम और अंतिम तारीख के बीच का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

24. 2[* * *]

25. सेना, नौसेना और वायुसेना सम्बन्धी या अन्य विधियों का प्रभावित नहीं होना.—

(1) इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47), तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता को, या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी विधि के प्रयोजनार्थ जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सामान्य दण्डिक न्याय का न्यायालय समझा जाएगा।

26. 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीशों का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश होना.—किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहा प्रत्येक विशेष न्यायाधीश उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा और ऐसे प्रारम्भ से ही प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश, तदनुसार, ऐसे प्रारम्भ पर उसके समक्ष लम्बित सब कार्यवाहियों का निपटारा, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करता रहेगा।

टिप्पणी

दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 306, खासतौर से धारा 306(2)(क) के उपबन्धों तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 26 की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ सुव्यवस्थित पाठन पर, यह न्यायालय इस राय का है कि अपराधों का विचारण करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के पास सत्र न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियाँ होती हैं। ऐसा विशेष न्यायाधीश, विचारण करने के लिए आरोप पत्र के दाखिल करने के पश्चात् तथा आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व दोनों की स्थितियों में संहिता के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करता है। अतः आरोप पत्र के दाखिल करने के पूर्व क्षमा प्रदान करने की शक्ति, उस विशेष न्यायाधीश के न्यायिक विवेक के अधिकार क्षेत्र में है जिसके समक्ष ऐसी प्रार्थना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विचारण करने के दौरान विशेष न्यायाधीश किसी भी क्षमा प्रदान करने वाले आदेश में किए गए सम्प्रेक्षणों से प्रभावित नहीं होगा,

1. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से “खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2018 द्वारा दिनांक 26-7-2018 से विलुप्त। पूर्व में धारा 24 निम्नवत थी :—

“24. रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजित न होना.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 7 से धारा 11 या धारा 13 या धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उससे उस लोक सेवक को (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या प्रस्थापना करने के लिए सहमति दी थी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा।”।

will not be in any way influenced by the observations in the order granting pardon but will act independently of the same. **Bangaru Laxman v. State**, (2012) 1 SCC 500 : AIR 2012 SC 873 : 2012 CriLJ 678 : (2012) 1 SCC (Cri) 487.

27. Appeal and revision.—Subject to the provisions of this Act, the High Court may exercise, so far as they may be applicable, all the powers of appeal and revision conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) on a High Court as if the Court of the Special Judge were a Court of Session trying cases within the local limits of the High Court.

28. Act to be in addition to any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him.

29. Amendment of the Ordinance 38 of 1944.—In the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944,—

- (a) in sub-section (1) of Section 3, sub-section (1) of Section 9, clause (a) of Section 10, sub-section (1) of Section 11 and sub-section (1) of Section 13, for the words "State Government", wherever they occur, the words "State Government or, as the case may be, the Central Government" shall be substituted;
- (b) in Section 10, clause (a), for the words "three months", the words "one year" shall be substituted;
- (c) in the Schedule,—
 - (i) paragraph 1 shall be omitted;
 - (ii) in paragraphs 2 and 4,—
 - (a) after the words "a local authority", the words and figures "or a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act, or an authority or a body owned or controlled or aided by Government or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)*, or a society aided by such corporation, authority, body or Government Company" shall be inserted;
 - (b) after the words "or authority", the words "or corporation or body or Government Company or society" shall be inserted;
 - (iii) for paragraph 4-A, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"4-A. An offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988";
 - (iv) in paragraph 5, for the words and figures "items 2, 3, and 4", the words, figures and letter "items 2, 3, 4 and 4-A" shall be substituted.

* Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

किन्तु उससे स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा। बंगारू लक्ष्मण वि० शासन, (2012) 1 एस० सी० सी० 500: ए० आई० आर० 2012 एस० सी० 873 : 2012 क्रिमि० लॉ ज० 678 : (2012) 1 एस० सी० सी० (क्रिमि०) 487.

27. अपील और पुनरीक्षण.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू हो सकती हैं, कर सकता है, मानो विशेष न्यायाधीश का उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे, और इसमें की कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसे कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो, इस अधिनियम के अतिरिक्त, उसके विरुद्ध संस्थापित की जा सकती है।

29. 1944 के अध्यादेश सं० 38 का संशोधन.—दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 में,—

- (क) धारा 2 की उपधारा (1), धारा 9 की उपधारा (1), धारा 10 के खण्ड (क) और धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) में “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, यथास्थिति, “राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) धारा 10 के खण्ड (क) में “तीन मास” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ग) अनुसूची के,—
 - (i) पैरा 1 का लोप किया जाएगा ;
 - (ii) पैरा 2 और पैरा 4 में,—
 - (क) “स्थानीय प्राधिकरण” शब्दों के पश्चात् “या किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई नियम, या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या उससे सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)* की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण, निकाय या सरकारी कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई सोसाइटी” शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जाएंगे;
 - (ख) “या प्राधिकरण” शब्दों के पश्चात् “या निगम या निकाय या सरकारी कम्पनी या सोसाइटी” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
 - (iii) पैरा 4अ के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4अ. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध।”;
 - (iv) पैरा 8 में, “मद 2, मद 3 और मद 4” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मद 2, मद 3, मद 4 और मद 4-अ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

* अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18).

¹[**29A. Power to make rules.**—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) guidelines which can be put in place by commercial organisation under section 9;
- (b) guidelines for sanction of prosecution under sub-section (1) of section 19;
- (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule, or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

30. Repeal and saving.—(1) The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947) and the Criminal Law Amendment Act, 1952 (46 of 1952) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, but without prejudice to the application of Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the Acts so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under or in pursuance of the corresponding provision of this Act.

31. Omission of certain Sections of Act 45 of 1860.—Sections 161 to 165A (both inclusive) of the Indian Penal Code (45 of 1860) shall be omitted, and Section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply to such omission as if the said sections had been repealed by a Central Act.

1. Inserted by Act No. 16 of 2018, w.e.f. 26-7-2018.

¹[29क. नियम बनाने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात् :—

- (क) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त, जो धारा 9 के अधीन वाणिज्यिक संगठन द्वारा बनाए जा सकते हैं;
- (ख) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त;
- (ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

30. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन या उनके अनुसरण में की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी।

31. 1860 के अधिनियम सं० 45 की कुछ धाराओं का लोप.— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 से धारा 165क तक का (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) लोप किया जाएगा, और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 ऐसे लोप को लागू होगी, मानो उक्त धाराओं का लोप किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा किया गया हो।

The Central Vigilance Commission Act, 2003

No. 45 of 2003*

[11th September, 2003]

An Act to provide for the constitution of a Central Vigilance Commission to inquire or cause inquiries to be conducted into offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 by certain categories of public servants of the Central Government, corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title.—This Act may be called the **Central Vigilance Commission Act, 2003**.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Central Vigilance Commissioner” means the Central Vigilance Commissioner appointed under sub-section (1) of section 4 ;
- (b) “Commission” means the Central Vigilance Commission constituted under sub-section (1) of section 3 ;
- (c) “Delhi Special Police Establishment” means the Delhi Special Police Establishment constituted under sub-section (1) of section 2 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) ;
- (d) “Government company” means a Government company within the meaning of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)** ;
- ¹[(da) “Lokpal” means the Lokpal established under sub-section (1) of section 3 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);]
- (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act ;
- (f) “Vigilance Commissioner” means a Vigilance Commissioner appointed under sub-section (1) of section 4.

CHAPTER II

The Central Vigilance Commission

3. Constitution of Central Vigilance Commission.—(1) There shall be constituted a body to be known as the Central Vigilance Commission to exercise

* Received the assent of the President on the 11th September, 2003 and Act published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated 12-9-2003 Pages 1-12.

** Now Companies Act, 2013 (18 of 2013).

1. Inserted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

क्रमांक 45 सन् 2003*

[11 सितंबर, 2003]

केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्गों के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 है।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ख) “आयोग” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) “दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन” से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अभिप्रेत है ;
- (घ) “सरकारी कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)** के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कंपनी अभिप्रेत है;
- 1[(घक) “लोकपाल” से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित लोकपाल अभिप्रेत है;]
- (ङ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (च) “सतर्कता आयुक्त” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है।

अध्याय 2

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन.—(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम से ज्ञात, एक निकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों

* राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 11 सितम्बर, 2003 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 दिनांक 12-9-2003 को पृष्ठ 1-12 पर प्रकाशित।

** अब कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)।

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।

the powers conferred upon, and to perform the functions assigned to it under this Act and the Central Vigilance Commission constituted under sub-section (1) of section 3 of the Central Vigilance Commission Ordinance, 1999 (Ord. 4 of 1999) which ceased to operate, and continued under the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Resolution No. 371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002 shall be deemed to be the Commission constituted under this Act.

(2) The Commission shall consist of—

- (a) a Central Vigilance Commissioner — Chairperson;
- (b) not more than two Vigilance Commissioners — Members.

(3) The Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners shall be appointed from amongst persons—

- (a) who have been or are in an All-India Service or in any civil service of the Union or in a civil post under the Union having knowledge and experience in the matters relating to vigilance, policy making and administration including police administration ; or
- (b) who have held office or are holding office in a corporation established by or under any Central Act or a Government company owned or controlled by the Central Government and persons who have expertise and experience in finance including insurance and banking, law, vigilance and investigations:

Provided that, from amongst the Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners, not more than two persons shall belong to the category of persons referred to either in clause (a) or clause (b).

(4) The Central Government shall appoint a Secretary to the Commission on such terms and conditions as it deems fit to exercise such powers and discharge such duties as the Commission may by regulations specify in this behalf.

(5) The Central Vigilance Commissioner, the other Vigilance Commissioners and the Secretary to the Commission appointed under the Central Vigilance Commission Ordinance, 1999 (Ord. 4 of 1999) or the Resolution of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Resolution No. 371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002 shall be deemed to have been appointed under this Act on the same terms and conditions including the term of office subject to which they were so appointed under the said Ordinance or the Resolution, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “term of office” shall be construed as the term of office with effect from the date the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner has entered upon his office and continued as such under this Act.

(6) The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

4. Appointment of Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners.—(1) The Central Vigilance Commissioner and the Vigilance Commissioners shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal :

का पालन करने के लिए, गठन किया जाएगा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश सं० 4), जो प्रवर्तन में नहीं रहा है, की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प सं० 371/20/99-एवीडी-III जो तारीख 13 अगस्त, 2002 के सम-संख्यांक संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, के अधीन बना रहा है, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया आयोग समझा जाएगा।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

- | | |
|---------------------------------|------------|
| (क) एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त | — अध्यक्ष; |
| (ख) दो से अनधिक सतर्कता आयुक्त | — सदस्य। |

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो—

- (क) अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन, जिसके अन्तर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव है; या
- (ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हैं या पद धारण कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, जिसके अन्तर्गत बीमा तथा बैंककारी भी है, विधि, सतर्कता और अन्वेषणों में विशेषज्ञता और अनुभव है :

परंतु यह कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों में से, दो से अधिक व्यक्ति खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्ग के नहीं होंगे।

(4) केन्द्रीय सरकार, आयोग में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिन्हें आयोग विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक सचिव नियुक्त करेगी।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश सं० 4) या भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99—एवीडी-III जो तारीख 13 अगस्त, 2002 के समसंख्यांक संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त और आयोग का सचिव इस अधिनियम के अधीन उन्हीं निबंधनों और शर्तों के जिसके अन्तर्गत पदावधि भी है, जिनके अधीन रहते हुए वे, यथास्थिति, उक्त अध्यादेश या संकल्प के अधीन इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “पदावधि” पद का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त द्वारा अपना पद ग्रहण किए जाने की तारीख से और इस अधिनियम के अधीन उस रूप में बने रहने की अवधि के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(6) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति.—(1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

Provided that every appointment under this sub-section shall be made after obtaining the recommendation of a Committee consisting of—

- | | |
|---|----------------|
| (a) the Prime Minister | — Chairperson; |
| (b) the Minister of Home Affairs | — Member ; |
| (c) the Leader of the Opposition in the House of the People | — Member. |

Explanation.—For the purposes of this sub-section, “the Leader of the Opposition in the House of the People” shall, when no such Leader has been so recognised, include the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People.

(2) No appointment of a Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Committee.

5. Terms and other conditions of service of Central Vigilance Commissioner.—(1) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), the Central Vigilance Commissioner shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The Central Vigilance Commissioner, on ceasing to hold the office, shall be ineligible for reappointment in the Commission.

(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), every Vigilance Commissioner shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier :

Provided that every Vigilance Commissioner, on ceasing to hold the office, shall be eligible for appointment as the Central Vigilance Commissioner in the manner specified in sub-section (1) of section 4 :

Provided further that the term of the Vigilance Commissioner, if appointed as the Central Vigilance Commissioner, shall not be more than four years in aggregate as the Vigilance Commissioner and the Central Vigilance Commissioner.

(3) The Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some other person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in Schedule to this Act.

(4) The Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

(5) The Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner may be removed from his office in the manner provided in section 6.

(6) On ceasing to hold office, the Central Vigilance Commissioner and every other Vigilance Commissioner shall be ineligible for—

- (a) any diplomatic assignment, appointment as administrator of a Union Territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by the President by warrant under his hand and seal;
- (b) further employment to any office of profit under the Government of India or the Government of a State.

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

- | | |
|--------------------------------|------------|
| (क) प्रधानमंत्री | — अध्यक्ष; |
| (ख) गृह मंत्री | — सदस्य; |
| (ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता | — सदस्य। |

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लोक सभा में विपक्ष का नेता” के अंतर्गत, जब किसी नेता को इस प्रकार मान्यता न प्रदान की गई हो, तब लोक सभा में सरकार के विपक्ष में एकल सबसे बड़े समूह का नेता होगा।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की कोई नियुक्ति समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

5. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें.—(1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए, या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, पद पर न रहने पर, आयोग में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए, या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा :

परन्तु प्रत्येक सतर्कता आयुक्त पद पर न रहने पर, धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि सतर्कता आयुक्त, यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसकी पदावधि, सतर्कता आयुक्त और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को धारा 6 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(6) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता आयुक्त, पद पर न रहने पर—

- (क) किसी राजनयिक समनुदेशन, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और किसी अन्य ऐसे समनुदेशन अथवा नियुक्ति के लिए, जो विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से, अधिपत्र द्वारा की जानी अपेक्षित है;
- (ख) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर आगे नियोजन के लिए,

पात्र नहीं होगा।

(7) The salary and allowances payable to and the other conditions of service of—

- (a) the Central Vigilance Commissioner shall be the same as those of the Chairman of the Union Public Service Commission ;
- (b) the Vigilance Commissioner shall be the same as those of a Member of the Union Public Service Commission :

Provided that if the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner is, at the time of his appointment, in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity :

Provided further that if the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner is, at the time of his appointment, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a corporation established by or under any Central Act or a Government company owned or controlled by the Central Government, his salary in respect of the service as the Central Vigilance Commissioner or, as the case may be, the Vigilance Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits :

Provided also that the salary, allowances and pension payable to, and the other conditions of service of, the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

6. Removal of Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioner.—(1) Subject to the provisions of sub-section (3), the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President may by order remove from office the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner if the Central Vigilance Commissioner or such Vigilance Commissioner, as the case may be,—

- (a) is adjudged an insolvent ; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude ; or

(7) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हैं;

(ख) सतर्कता आयुक्त के लिए वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की हैं :

परन्तु यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम, जिसके अंतर्गत पेंशन का वह भाग भी है जो संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को अपवर्जित करते हुए, घटा दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में पहले की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ले रहा हो तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्त के रूप में उसकी सेवा के संबंध में, उसके वेतन में से, उसके द्वारा ली जा रही सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की रकम घटा दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का हटाया जाना.—(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर, उसके द्वारा की गई जांच के पश्चात्, यह रिपोर्ट किए जाने पर कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, हटाया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, निलंबित और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकेगा, यदि—

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में उसकी नैतिक अधमता अन्तर्वर्लित है; या

- (c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office ; or
- (d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body ; or
- (e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner.

(4) If the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner is or becomes in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

7. Power to make rules by Central Government for staff.—The Central Government may, in consultation with the Commission, make rules with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service.

CHAPTER III

Functions and Powers of the Central Vigilance Commission

8. Functions and powers of Central Vigilance Commission.—(1) The functions and powers of the Commission shall be to—

- (a) exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment in so far as it relates to the investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or an offence with which a public servant specified in sub-section (2) may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial ;
- (b) give directions to the Delhi Special Police Establishment for the purpose of discharging the responsibility entrusted to it under sub-section (1) of section 4 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) :

Provided that while exercising the powers of superintendence under clause (a) or giving directions under this clause, the Commission shall not exercise powers in such a manner so as to require the Delhi Special Police Establishment to investigate or dispose of any case in a particular manner ;

- (c) inquire or cause an inquiry or investigation to be made on a reference made by the Central Government wherein it is alleged that a public servant being an employee of the Central Government or a corporation established by or under any Central Act, Government company, society and any local authority owned or controlled by that Government, has committed an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or an offence with which a public servant may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial ;

- (ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वेतन पाने वाले नियोजन में लगा हुआ है; या
- (घ) वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
- (ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप में सम्बद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या सदस्य के रूप में से अन्यथा किसी भी प्रकार से उसके लाभ में या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में, भागीदार है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारिवृन्द के लिए नियम बनाने की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, आयोग के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बना सकेगी।

अध्याय 3

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां.—(1) आयोग के निम्नलिखित कृत्य और शक्तियां होंगी—

- (क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों अथवा किसी ऐसे अपराध के, जिससे उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, अन्वेषण से संबंधित है;
 - (ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गए उत्तरदायित्व के निर्वहन के प्रयोजन के लिए निदेश देना :
- परंतु आयोग, खंड (क) के अधीन अधीक्षण की या इस खंड के अधीन निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, ऐसी रीति से शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन से किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में ही अन्वेषण करने या उसका निपटारा करने की अपेक्षा की जाए;
- (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे निर्देश पर जांच करना या जांच अथवा अन्वेषण कराना जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि किसी लोक सेवक ने, केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण का कर्मचारी होते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध, जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, किया है;

- (d) inquire or cause an inquiry or investigation to be made into any complaint against any official belonging to such category of officials specified in sub-section (2) wherein it is alleged that he has committed an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and an offence with which a public servant specified in sub-section (2) may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial ;
- (e) review the progress of investigations conducted by the Delhi Special Police Establishment into offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or the public servant may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), be charged at the same trial ;
- (f) review the progress of applications pending with the competent authorities for sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) ;
- (g) tender advice to the Central Government, Corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government on such matters as may be referred to it by that Government, said Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government or otherwise ;
- (h) exercise superintendence over the vigilance administration of the various Ministries of the Central Government or corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that Government :

Provided that nothing contained in this clause shall be deemed to authorise the Commission to exercise superintendence over the vigilance administration in a manner not consistent with the directions relating to vigilance matters issued by the Government and to confer power upon the Commission to issue directions relating to any policy matters.

- (2) The persons referred to in clause (d) of sub-section (1) are as follows :—
- (a) members of All-India Services serving in connection with the affairs of the Union and Group 'A' officers of the Central Government ;
 - (b) such level of officers of the corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities, owned or controlled by the Central Government, as that Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf :

Provided that till such time a notification is issued under this clause, all officers of the said corporations, companies, societies and local authorities shall be deemed to be the persons referred to in clause (d) of sub-section (1);

- (घ) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध किसी परिवाद, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, किया है, जांच करना या जांच अथवा अन्वेषण कराना;
- (ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का अथवा किसी ऐसे अपराध का जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अंतर्गत उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, पुनर्विलोकन करना;
- (च) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लम्बित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
- (छ) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे विषयों पर सलाह देना जो इसे उस सरकार, उक्त सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट किए जाएं;
- (ज) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण रखना :

परन्तु इस खंड में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह आयोग को सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण का ऐसी रीति से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है जो सरकार द्वारा जारी किए गए सतर्कता संबंधी विषयों से संबंधित निदेशों से संगत नहीं है और आयोग को किसी नीति विषयक मामले के संबंध में निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्न प्रकार हैं :—

- (क) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारी;
- (ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के अधिकारी जिन्हें वह सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उस समय तक, जब तक कि इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, उक्त निगमों, कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी अधिकारी उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति समझे जाएंगे;

¹[(c) on a reference made by the Lokpal under proviso to sub-section (1) of section 20 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) shall also include—

- (i) members of Group B, Group C and Group D services of the Central Government;
- (ii) such level of officials or staff of the corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities, owned or controlled by the Central Government, as that Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf :

Provided that till such time a notification is issued under this clause, all officials or staff of the said corporations, companies, societies and local authorities shall be deemed to be the persons referred in clause (d) of sub-section (1).]

¹[8A. **Action on preliminary inquiry in relation to public servants.**—(1) Where, after the conclusion of the preliminary inquiry relating to corruption of public servants belonging to Group C and Group D officials of the Central Government, the findings of the Commission disclose, after giving an opportunity of being heard to the public servant, a *prima facie* violation of conduct rules relating to corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) by such public servant, the Commission shall proceed with one or more of the following actions, namely:—

- (a) cause an investigation by any agency or the Delhi Special Police Establishment, as the case may be;
- (b) initiation of the disciplinary proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant by the competent authority;
- (c) closure of the proceedings against the public servant and to proceed against the complainant under section 46 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).

(2) Every preliminary inquiry referred to in sub-section (1) shall ordinarily be completed within a period of ninety days and for reasons to be recorded in writing, within a further period of ninety days from the date of receipt of the complaint.

8B. Action on investigation in relation to public servants.—(1) In case the Commission decides to proceed to investigate into the complaint under clause (a) of sub-section (1) of section 8A, it shall direct any agency (including the Delhi Special Police Establishment) to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of six months from the date of its order and submit the investigation report containing its findings to the Commission :

Provided that the Commission may extend the said period by a further period of six months for the reasons to be recorded in writing.

¹[(ग) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 20 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन लोकपाल द्वारा किए गए निर्देश पर, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अंतर्गत—

- (i) केन्द्रीय सरकार की समूह ख, समूह ग और समूह घ सेवाओं के सदस्य;
- (ii) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के पदाधिकारी या कर्मचारिवृंद, जिन्हें वह सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु उस समय तक जब तक कि इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, उक्त निगमों, कंपनियों, सोसाइटियों, और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी पदाधिकारी या कर्मचारिवृंद उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति समझे जाएंगे।]

1[8क. लोक सेवकों के संबंध में प्रारंभिक जांच पर कार्रवाई.]—(1) जहां केन्द्रीय सरकार के समूह ग और समूह घ से संबंधित लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रारंभिक जांच के पूरा हो जाने के पश्चात् आयोग के निष्कर्षों से, ऐसे लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन भ्रष्टाचार से संबंधित आचरण नियमों के प्रथमदृष्टया उल्लंघन का प्रकटन होता है, वहां आयोग, लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्रवाइयां किए जाने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

- (क) यथास्थिति, किसी अधिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण कराया जाना;
- (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ कराया जाना;
- (ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों को बंद कराया जाना तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

8ख. लोक सेवकों के संबंध में अन्वेषण पर कार्रवाई.]—(1) यदि आयोग धारा 8क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अधिकरण को (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) अन्वेषण यथासाध्य शीघ्रता से करने और उसके आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने और अपने निष्कर्षों के साथ अन्वेषण रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निदेश देगा :

परंतु आयोग उक्त अवधि को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।

(2) Notwithstanding anything contained in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any agency (including the Delhi Special Police Establishment) shall, in respect of cases referred to it by the Commission, submit the investigation report to the Commission.

(3) The Commission shall consider every report received by it under sub-section (2) from any agency (including the Delhi Special Police Establishment) and may decide as to—

- (a) file charge-sheet or closure report before the Special Court against the public servant;
- (b) initiate the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant by the competent authority.]

9. Proceedings of Commission.—(1) The proceedings of the Commission shall be conducted at its headquarters.

(2) The Commission may, by unanimous decision, regulate the procedure for transaction of its business as also allocation of its business amongst the Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners.

(3) Save as provided in sub-section (2), all business of the Commission shall, as far as possible, be transacted unanimously.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), if the Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners differ in opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority.

(5) The Central Vigilance Commissioner, or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Commission, the senior-most Vigilance Commissioner present at the meeting, shall preside at the meeting.

(6) No act or proceeding of the Commission shall be invalid merely by reason of—

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission ; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as the Central Vigilance Commissioner or as a Vigilance Commissioner ; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Commission not affecting the merits of the case.

10. Vigilance Commissioner to act as Central Vigilance Commissioner in certain circumstances.—(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Central Vigilance Commissioner by reason of his death, resignation or otherwise, the President may, by notification, authorise one of the Vigilance Commissioners to act as the Central Vigilance Commissioner until the appointment of a new Central Vigilance Commissioner to fill such vacancy.

(2) When the Central Vigilance Commissioner is unable to discharge his functions owing to absence on leave or otherwise, such one of the Vigilance Commissioners as the President may, by notification, authorise in this behalf, shall discharge the functions of the Central Vigilance Commissioner until the date on which the Central Vigilance Commissioner resumes his duties.

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) आयोग द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी अभिकरण से (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) उसे प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा और—

- (क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पगइल किए जाने या रिपोर्ट बंद किए जाने के बारे में;
- (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां किए जाने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई किए जाने के बारे में,

विनिश्चय कर सकेगा।]

9. आयोग की कार्यवाहियां.—(1) आयोग की कार्यवाहियां उसके मुख्यालय में संचालित की जाएंगी।

(2) आयोग, सर्वसम्मति विनिश्चय से, अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को भी विनियमित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, आयोग के सभी कारबार, यथासंभव, सर्वसम्मति से संव्यवहृत किए जाएंगे।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की किसी विषय पर राय में भिन्नता है तो ऐसा विषय बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या यदि वह किसी कारण आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित ज्येष्ठतम सतर्कता आयुक्त, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(6) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि—

- (क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) आयोग की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

10. कतिपय परिस्थितियों में सतर्कता आयुक्त का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करना.—(1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सतर्कता आयुक्तों में से एक को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए, जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, छुट्टी पर अनुपस्थित होने के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो सतर्कता आयुक्तों में से ऐसा एक सतर्कता आयुक्त, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, उस तारीख तक जब तक कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त फिर से अपने कर्तव्यों को ग्रहण नहीं कर लेता है, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

11. Power relating to inquiries.—The Commission shall, while conducting any ¹[inquiry referred to in clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 8], have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and in particular, in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath ;
- (b) requiring the discovery and production of any document ;
- (c) receiving evidence on affidavits ;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office ;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or other documents; and
- (f) any other matter which may be prescribed.

²[**11A. Director of Inquiry for making preliminary inquiry.**—(1) There shall be a Director of Inquiry, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, who shall be appointed by the Central Government for conducting preliminary inquiries referred to the Commission by the Lokpal.

(2) The Central Government shall provide the Director of Inquiry such officers and employees as may be required for the discharge of his functions under this Act.]

12. Proceedings before Commission to be judicial proceedings.—The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and every proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

CHAPTER IV

Expenses and Annual Report

13. Expenses of Commission to be charged on the Consolidated Fund of India.—The expenses of the Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Central Vigilance Commissioner, the Vigilance Commissioners, Secretary and the staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India.

14. Annual report.—(1) It shall be the duty of the Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission within six months of the close of the year under report.

(2) The report referred to in sub-section (1) shall contain a separate part on the functioning of the Delhi Special Police Establishment in so far as it relates to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946).

(3) On receipt of such report, the President shall cause the same to be laid before each House of Parliament

1. Substituted by Central Vigilance Commission (Removal of Difficulties) Order, 2004 (Notification No. G.S.R. 654(E) dated 28-9-2004), w.e.f. 1-10-2004.

2. Inserted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

11. जांच से संबंधित शक्तियां.—आयोग को, ¹[धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) तथा (घ) में संदर्भित जांच] करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात् :—

- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

2[11क. प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निदेशक.—(1) जांच निदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, आयोग को लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच करने के लिए की जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, जांच निदेशक को उतने अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित हों।]

12. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विधिक कार्यवाहियां होना.—आयोग, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा और आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए विधिक कार्यवाही समझी जाएगी।

अध्याय 4

व्यय और वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना.—आयोग के व्यय, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव और कर्मचारिवृन्द को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

14. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष रिपोर्ट से संबंधित वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण पर जहाँ तक उसका संबंध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 4 की उपधारा (1) से है, एक पृथक् भाग होगा।

(3) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कठिनाईयां दूर करना) आदेश, 2004 (अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 654(अ) दिनांक 28-9-2004) द्वारा दिनांक 1-10-2004 से प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।

CHAPTER V

Miscellaneous

15. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Commission, the Central Vigilance Commissioner, any Vigilance Commissioner, the Secretary or against any staff of the Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

16. Central Vigilance Commissioner, Vigilance Commissioner and staff to be public servants.—The Central Vigilance Commissioner, every Vigilance Commissioner, the Secretary and every staff of the Commission shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

17. Report of any inquiry made on reference by Commission to be forwarded to that Commission.—(1) The report of the inquiry undertaken by any agency on a reference made by the Commission shall be forwarded to the Commission.

(2) The Commission shall, on receipt of such report and after taking into consideration any other factors relevant thereto, advise the Central Government and corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that Government, as the case may be, as to the further course of action.

(3) The Central Government and the corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities owned or controlled by that Government, as the case may be, shall consider the advice of the Commission and take appropriate action :

Provided that where the Central Government, any corporation established by or under any Central Act, Government company, society or local authority owned or controlled by the Central Government, as the case may be, does not agree with the advice of the Commission, it shall, for reasons to be recorded in writing, communicate the same to the Commission.

18. Power to call for information.—The Commission may call for reports, returns and statements from the Central Government or corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities owned or controlled by that Government so as to enable it to exercise general supervision over the vigilance and anti-corruption work in that Government and in the said corporations, Government companies, societies and local authorities.

19. Consultation with Commission in certain matters.—The Central Government shall, in making any rules or regulations governing the vigilance or disciplinary matters relating to persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or to members of the All-India Services, consult the Commission.

20. Power to make rules.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

अध्याय 5

प्रकीर्ण

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, किसी सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव या किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

16. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना.—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, प्रत्येक सतर्कता आयुक्त, आयोग का सचिव और प्रत्येक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

17. आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजा जाना.—(1) आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर किसी अभिकरण द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी।

(2) आयोग ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और उससे सुसंगत अन्य बातों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देगा।

(3) केन्द्रीय सरकार और, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियां, सोसाइटियां और स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह पर विचार करेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे :

परन्तु जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह से सहमत नहीं हैं, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसे आयोग को संसूचित करेगा।

18. जानकारी मांगने की शक्ति.—आयोग, केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों से, उस सरकार में और उक्त निगमों, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक कार्य के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए रिपोर्ट, विवरणी और विवरण की मांग कर सकेगा।

19. कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श किया जाना.—केन्द्रीय सरकार, संघ के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में सतर्कता या अनुशासनिक मामलों को शासित करने वाले कोई नियम अथवा विनियम बनाते समय आयोग से, परामर्श करेगी।

20. नियम बनाने की शक्ति.—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the number of members of the staff and their conditions of service under section 7 ;
- (b) any other power of the civil court to be prescribed under clause (f) of section 11; and
- (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

21. Power to make regulations.—(1) The Commission may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder to provide for all matters for which provision is expedient for the purposes of giving effect to the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the duties and the powers of the Secretary under sub-section (4) of section 3; and
- (b) the procedure to be followed by the Commission under sub-section (2) of section 9.

22. Notification, rule, etc., to be laid before Parliament.—Every notification issued under clause (b) of sub-section (2) of section 8 and every rule made by the Central Government and every regulation made by the Commission under this Act shall be laid, as soon as may be after it is issued or made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or the rule or the regulation, or both Houses agree that the notification or the rule or the regulation should not be made, the notification or the rule or the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or rule or regulation.

23. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

24. Provisions relating to existing Vigilance Commission.—With effect from the constitution of the Commission under sub-section (1) of section 3, the Central Vigilance Commission set up by the Resolution of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 24/7/64-AVD, dated the 11th February, 1964 (hereafter referred to in this section as the existing Vigilance

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) धारा 7 के अधीन कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें;
- (ख) धारा 11 के खंड (च) के अधीन विहित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति; और
- (ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

21. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं और उसके अधीन बनाए गए नियम ऐसे सभी विषयों का उपबंध कर सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सचिव के कर्तव्य और शक्तियां; और
- (ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

22. अधिसूचना, नियम आदि का संसद् के समक्ष रखा जाना.—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए या नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसी अधिसूचना या ऐसा नियम या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी/होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस अधिसूचना या नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

24. विद्यमान सतर्कता आयोग से संबंधित उपबंध.—धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के गठन से ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संकल्प संख्यांक 24/7/64-एवीडी, तारीख 11 फरवरी, 1964 द्वारा स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान

Commission) shall, insofar as its functions are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to discharge the said functions and—

- (a) all actions and decisions taken by the Vigilance Commission insofar as such actions and decisions are relatable to the functions of the Commission constituted under this Act shall be deemed to have been taken by the Commission ;
- (b) all proceedings pending before the Vigilance Commission, insofar as such proceedings relate to the functions of the Commission, shall be deemed to be transferred to the Commission and shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act ;
- (c) the employees of the Vigilance Commission shall be deemed to have become the employees of the Commission on the same terms and conditions ;
- (d) all the assets and liabilities of the Vigilance Commission shall be transferred to the Commission.

25. Appointments, etc., of officers of Directorate of Enforcement.— Notwithstanding anything contained in the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) or any other law for the time being in force,—

- (a) the Central Government shall appoint a Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement in the Ministry of Finance on the recommendation of the Committee consisting of—
 - (i) the Central Vigilance Commissioner — Chairperson;
 - (ii) Vigilance Commissioners — Members ;
 - (iii) Secretary to the Government of India in-charge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government — Member ;
 - (iv) Secretary to the Government of India in-charge of the Ministry of Personnel in the Central Government — Member ;
 - (v) Secretary to the Government of India in-charge of the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Central Government — Member ;
- (b) while making a recommendation, the Committee shall take into consideration the integrity and experience of the officers eligible for appointment ;
- (c) no person below the rank of Additional Secretary to the Government of India shall be eligible for appointment as a Director of Enforcement ;
- (d) a Director of Enforcement shall continue to hold office for a period of not less than two years from the date on which he assumes office :

¹[Provided that the period for which the Director of Enforcement holds the office on his initial appointment may, in public interest, on the

सतर्कता आयोग कहा गया है) जहां तक इसके कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उक्त कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा, और—

- (क) सतर्कता आयोग द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां और किए गए विनिश्चय जहां तक ऐसी कार्रवाइयां और विनिश्चय इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग के कृत्यों से संबंधित हैं, आयोग द्वारा किए गए समझे जाएंगे;
- (ख) सतर्कता आयोग के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां जहां तक ऐसी कार्यवाहियां आयोग के कृत्यों से संबंधित हैं आयोग को अंतरित की गई समझी जाएंगी और वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बरती जाएंगी;
- (ग) सतर्कता आयोग के कर्मचारी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर आयोग के कर्मचारी हो गए समझे जाएंगे :
- (घ) सतर्कता आयोग की सभी आस्तियां और दायित्व आयोग को अंतरित हो जाएंगे।

25. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति आदि.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय में एक प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करेगी :—
 - (i) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त —अध्यक्ष;
 - (ii) सभी सतर्कता आयुक्त —सदस्य;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्रालय का भारसाधक
भारत सरकार का सचिव —सदस्य;
 - (iv) केन्द्रीय सरकार में कार्मिक मंत्रालय का भारसाधक
भारत सरकार का सचिव —सदस्य;
 - (v) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का
भारसाधक भारत सरकार का सचिव —सदस्य;
 - (ख) समिति, सिफारिश करते समय, नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और उनके अनुभव पर विचार करेगी;
 - (ग) भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का कोई व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
 - (घ) प्रवर्तन निदेशक उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण करेगा:
- ¹[परंतु उस अवधि का, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, लोक हित में, खंड (क) के अधीन समिति की सिफारिश पर और

1. अधिनियम क्रमांक 46 सन् 2021 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 14-11-2021 से अंतःस्थापित।

recommendation of the Committee under clause (a) and for the reasons to be recorded in writing, be extended up to one year at a time :

Provided further that no such extension shall be granted after the completion of a period of five years in total including the period mentioned in the initial appointment;]

- (e) a Director of Enforcement shall not be transferred except with the previous consent of the Committee referred to in clause (a) ;
- (f) the Committee referred to in clause (a) shall, in consultation with the Director of Enforcement, recommend officers for appointment to the posts above the level of the Deputy Director of Enforcement and also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officers in the Directorate of Enforcement ;
- (g) on receipt of the recommendation under clause (f), the Central Government shall pass such orders as it thinks fit to give effect to the said recommendation.

26. Amendment of Act 25 of 1946.—In the Delhi Special Police Establishment Act, 1946,—

- (a) after section 1, the following section shall be inserted, namely :—

“1A. Interpretation section.—Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Vigilance Commission Act, 2003, shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.”;

- (b) for section 4, the following sections shall be substituted, namely :—

“4. Superintendence and administration of Special Police Establishment.—(1) The superintendence of the Delhi Special Police Establishment in so far as it relates to investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), shall vest in the Commission.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1), the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in the Central Government.

(3) The administration of the said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by the Central Government (hereinafter referred to as the Director) who shall exercise in respect of that police establishment such of the powers exercisable by an Inspector-General of Police in respect of the police force in a State as the Central Government may specify in this behalf.

4A. Committee for appointment of Director.—(1) The Central Government shall appoint the Director on the recommendation of the Committee consisting of—

- (a) the Central Vigilance Commissioner — Chairperson;

कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी विस्तार को प्रारंभिक नियुक्ति में वर्णित कालावधि सहित कुल पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अनुदत्त नहीं किया जाएगा;]

(ड) प्रवर्तन निदेशक को खंड (क) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(च) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति, प्रवर्तन निदेशक के परामर्श से, प्रवर्तन उपनिदेशक के स्तर से ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अधिकारियों की पदावधि में विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी;

(छ) खंड (ड) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को प्रभावी करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगी, जो वह ठीक समझे।

26. 1946 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में,—

(क) धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“1क. निर्वचन-खंड.—उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं;”;

(ख) धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“4. विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन.—(1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण, जहां तक इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों के अन्वेषण से है, आयोग में निहित होगा।

(2) जैसा उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(3) उक्त पुलिस स्थापन का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् निदेशक कहा गया है) निहित होगा जो उस पुलिस स्थापन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

4क. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति.—(1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी :—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

—अध्यक्ष;

-
- (b) Vigilance Commissioners — Members ;
 - (c) Secretary to the Government of India in-charge of the Ministry of Home Affairs in the Central Government — Member ;
 - (d) Secretary (Coordination and Public Grievances) in the Cabinet Secretariat — Member.
- (2) While making any recommendation under sub-section (1), the Committee shall take into consideration the views of the outgoing Director.
- (3) The Committee shall recommend a panel of officers—
- (a) on the basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases ; and
 - (b) chosen from amongst officers belonging to the Indian Police Service constituted under the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951),
- for being considered for appointment as the Director.
- 4B. Terms and conditions of service of Director.—**(1) The Director shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the rules relating to his conditions of service, continue to hold office for a period of not less than two years from the date on which he assumes office.
- (2) The Director shall not be transferred except with the previous consent of the Committee referred to in sub-section (1) of section 4A.
- 4C. Appointment for posts of Superintendent of Police and above, extension and curtailment of their tenure, etc.—**(1) The Committee referred to in section 4A shall, after consulting the Director, recommend officers for appointment to the posts of the level of Superintendent of Police and above and also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officers in the Delhi Special Police Establishment.
- (2) On receipt of the recommendation under sub-section (1), the Central Government shall pass such orders as it thinks fit to give effect to the said recommendation.”;
- (c) after section 6, the following section shall be inserted, namely :—
- “6A. Approval of Central Government to conduct inquiry or investigation.—**(1) The Delhi Special Police Establishment shall not conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) except with the previous approval of the Central Government where such allegation relates to—
- (a) the employees of the Central Government of the level of Joint Secretary and above ; and

- (ख) सभी सतर्कता आयुक्त —सदस्य;
- (ग) केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव —सदस्य;
- (घ) मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) —सदस्य।
- (2) समिति उपधारा (1) के अधीन कोई सिफारिश करते समय पदावरोही निदेशक के विचारों को ध्यान में रखेगी।
- (3) समिति,—
- (क) ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के अन्वेषण के अनुभव के आधार पर; और
- (ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अधीन गठित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से चुनकर, निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।
- 4ख. निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें.**—(1) निदेशक, उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण किए रहेगा।
- (2) निदेशक को धारा 4क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- 4ग. पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति, उनकी पदावधि का विस्तारण और लघुकरण, आदि.**—(1) धारा 4क में निर्दिष्ट समिति, निदेशक से परामर्श करने के पश्चात्, पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में ऐसे अधिकारियों की पदावधि के विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे।”;
- (ग) धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—
- “6क. जांच या अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन.**—
- (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ऐसे किसी अपराध की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किया गया अभिकथित है, जहां उसका अभिकथन,—
- (क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में है; और

- (b) such officers as are appointed by the Central Government in corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that Government.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any gratification other than legal remuneration referred to in clause (c) of the Explanation to section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988)."

27. Repeal and saving.—(1) The Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Resolution No. 371/20/99-AVD. III, dated the 4th April, 1999 as amended vide Resolution of even number, dated the 13th August, 2002 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal and the cesser of operation of the Central Vigilance Commission Ordinance, 1999 (Ord. 4 of 1999), anything done or any action taken under the said Resolution and the said Ordinance including the appointments made and other actions taken or anything done or any action taken or any appointment made under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) and the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been made or done or taken under this Act or the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 and the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 as if the amendments made in those Acts by this Act were in force at all material times.

SCHEDULE

[See Section 5(3)]

Form of Oath or Affirmation to be made by the Central Vigilance Commissioner or Vigilance Commissioner

"I, A.B., having been appointed Central Vigilance Commissioner (or Vigilance Commissioner) of the Central Vigilance Commission do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws."

(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अनुमोदन ऐसे मामलों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 7 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप पर घटना स्थल पर ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वर्तित है।”।

27. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-एवीडी—III के अधीन, जो तारीख 13 अगस्त, 2002 के सम-संख्यांक संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश सं० 4) के ऐसे निरसन और प्रवर्तन की समाप्ति के होते हुए भी, उक्त संकल्प और उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई जिसके अन्तर्गत की गई नियुक्तियां और अन्य कार्रवाइयां भी या उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या कोई नियुक्ति भी है, इस अधिनियम या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम द्वारा उन अधिनियमों में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थे।

अनुसूची

[धारा 5 (3) देखिए]

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

“मैं, अमुक, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (या सतर्कता आयुक्त) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।”।

Complaint Handling Policy

1. The Central Vigilance Commission (hereinafter referred to as the Commission) is constituted under the provisions of the Central Vigilance Commission Act of 2003 to exercise superintendence over vigilance matters and implementation of anti-corruption measures in the Central Government Departments and in their attached/subordinate offices, Government Company, Society and any local authority owned or controlled by the Central Government. The Commission has also been assigned superintendence over the functioning of the Central Bureau of Investigation in so far as it relates to offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988. **It shall act as the designated agency for receipt of written complaints in allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action under GOI Resolution "Public Interest Disclosure and Protection of Informer".**

2. The prime objective of the Commission is to advise the different departments and the organizations/institutions mentioned in the foregoing para on vigilance related issues in respect of specific levels of officers falling within the jurisdiction of the Commission with regard to type of punishments etc. depending on the misconduct.

3. Complaint from public, various administrative authorities, NGOs etc. are generally one of the important sources of information for identification of vigilance related issues in the above mentioned organisations.

Complaints to the Commission are thus meant to result in punitive action against the erring public servant(s). Relief as such in the matter to the complainant is only incidental to the vigilance action. Redressal of grievances vis-a-vis Government organisations or public sector enterprises should not be the focus of complaints to the Commission.

"As regards complaints against tenders, it may be clarified that while the Commission would get the matter investigated through the concerned CVO, it would not interfere in the tender processes. The intention is not to stop the work in the organisation and, therefore, the processing of tender would continue. However, based on the report of the CVO, the Commission would take appropriate action in the matter."

4. The Commission has adopted BIS standard for its complaint handling policy. The objective of the complaint handling policy of the Commission as specified in the BIS Manual is to ensure timely and satisfactory redressal of every complaint. As per these standards, the complaint handling process in the Commission has to be audited once a year by an Auditor to be nominated by CVC. The standards also provide that the observations made by the Auditor are to be taken into consideration by the Management Review Committee for necessary corrective action.

शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (इससे आगे इसे आयोग कहा जाएगा) की स्थापना वर्ष 2003 के केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकारी विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, सरकारी कंपनी, समिति तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी भी स्थानीय निकाय के सतर्कता मामलों तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यों की निगरानी करने का कार्य भी आयोग को सौंपा गया है। यह भारत सरकार के “लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण” संकल्प के अन्तर्गत, भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों वाली लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए मनोनीत अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

2. आयोग का प्रधान उद्देश्य, पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित विभिन्न विभागों तथा संगठनों/संस्थानों को, आयोग की अधिकारिता में आने वाले विशिष्ट स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी मुद्दों पर कदाचार के अनुरूप दंड की प्रकृति आदि के संबंध में सलाह देना है।

3. जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त शिकायतें सामान्यतः उपर्युक्त संगठनों में सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

अतः, आयोग को की गई शिकायतें दोषी लोक सेवक (सेवकों) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई में परिणत होती है। ऐसे मामलों में सतर्कता कार्रवाई से शिकायतकर्ता को मिलने वाली राहत केवल अतिरिक्त होती है। सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध की गई शिकायतों का समाधान, आयोग को की गई शिकायतों का केन्द्र बिन्दु नहीं होना चाहिए।

“निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से मामले का अन्वेषण करवाएगा परन्तु यह निविदा प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका उद्देश्य यह है कि संगठन में कार्य को न रोका जाए तथा, इसलिए, निविदा की प्रक्रिया जारी रहेगी। तथापि, मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, आयोग मामले में उचित कार्रवाई करेगा।”

4. आयोग ने अपनी शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति के लिए बी० आई० एस० मानक अपनाया है। बी० आई० एस० मैनुअल में निर्दिष्ट अनुसार आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति का उद्देश्य प्रत्येक शिकायत का समय पर तथा संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। इन मानकों के अनुसार, आयोग में शिकायत संचालन प्रक्रिया का, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित एक अंकेक्षक द्वारा वर्ष में एक बार अंकेक्षण किया जाएगा। मानकों में यह प्रावधान भी है कि अंकेक्षक द्वारा दिए गए प्रेक्षणों पर आवश्यक शोधक कार्रवाई किए जाने के लिए प्रबंध समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

5. Complaint can be lodged only against officials belonging to the organizations over which CVC has jurisdiction, namely :—

- Central Govt. Ministries / Departments
- Central Govt. Public Sector Undertakings
- Nationalised Banks, Insurance Companies
- Autonomous organisations like Port Trusts etc.
- Centrally administered territories including Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Pondicherry etc.

The Commission has no jurisdiction over private individuals and State Governments. Therefore, please do not lodge complaints against officials of these organisations to the Commission.

6. As per CVC Act, 2003, the Commission can inquire or cause an inquiry against only certain categories of public servants posted in the organizations specified above. At present, the Commission's jurisdiction over the employees of Ministries / Departments / PSUs / PSBs / Insurance Sector is as under :—

- | | |
|--|---|
| (1) Central Govt. Ministries / Deptts. | Group 'A' officers and above |
| (2) Public Sector Undertakings | Two level below the Board level and above |
| (3) Public Sector Banks | Officers of Scale V and above |
| (4) Insurance Sector | Assistant Manager and equivalent |
| (5) Autonomous Bodies | Officers drawing Basic pay of Rs. 8700/- and above |
| (6) Port Trusts / Dock Labour Board | Officers who are in pay of Rs. 10,750/- and above (Rs. 3,750/- and above pre-revised) |

7. The complainant should note—

- The Commission does not entertain anonymous / pseudonymous complaints.
- Whenever the complainant for valid reasons requests that his identity be withheld while processing the complaint, this will be ensured by the Commission.
- Complaints must be brief and contain factual details, verifiable facts and related matters. They should not be vague or contain sweeping general allegations.
- Complaint should be addressed directly to the Commission. Complaints marked to a large number of functionaries are not normally pursued by the Commission.
- Only those complaints which are against officials and organizations within the jurisdiction of the Commission and have allegations of corruption will be got investigated by the Commission through CBI or CVO of the organisation concerned. The Commission may also get a complaint inquired through its own officer under clause (d) of sub-section (1) of Section (8) of CVC Act, 2003.

5. केवल ऐसे संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आते हैं, अर्थात :—

- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग
- केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
- राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां
- पत्तन न्यास आदि जैसे स्वायत्त संगठन
- दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, पाण्डिचेरी आदि सहित केन्द्रीय शासित प्रदेश

अशासकीय व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों पर आयोग की अधिकारिता नहीं है। अतः, कृपया इन संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध आयोग को शिकायत न भेजी जाए।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार, आयोग ऊपर निर्दिष्ट संगठनों में तैनात लोक सेवकों की केवल कुछ श्रेणियों के विरुद्ध जाँच कर सकता है अथवा जाँच करवा सकता है। वर्तमान में, मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों पर आयोग की अधिकारिता निम्न प्रकार है :—

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग | — समूह “क” अधिकारी और इससे ऊपर |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | — बोर्ड स्तर से दो स्तर नीचे तथा इससे ऊपर |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | — वेतनमान V और इससे ऊपर के अधिकारी |
| 4. बीमा क्षेत्र | — सहायक प्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी |
| 5. स्वायत्त निकाय | — रु० 8700/- तथा अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी |
| 6. पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड | — रु० 10,750/- तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी (रु० 3750/- तथा अधिक संशोधन-पूर्व) |

7. शिकायकर्ता यह नोट कर लें कि :—

- आयोग अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है।
- शिकायतकर्ता जब भी मान्य कारणों से यह अनुरोध करता है कि शिकायत पर कार्रवाई करते समय उसकी पहचान गुप्त रखी जाए तो आयोग द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा।
- शिकायतें संक्षिप्त होनी चाहिए तथा इनमें वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य तथा सम्बद्ध मामले होने चाहिए। ये अस्पष्ट अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाली नहीं होनी चाहिए।
- शिकायतें आयोग को सीधे सम्बोधित होनी चाहिए। बहुत से अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर सामान्यतः आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।
- केवल ऐसी शिकायतों पर, जो आयोग की अधिकारिता में आने वाले अधिकारियों तथा संगठनों के विरुद्ध की गई हैं तथा जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप है, आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा सम्बन्धित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से अन्वेषण करवाया जाएगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा (8) की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अन्तर्गत आयोग अपने स्वयं के अधिकारी के माध्यम से भी किसी शिकायत की जाँच करवा सकता है।

- Other complaints will either be filed or will be referred to the concerned CVO for necessary action.
- Commission shall acknowledge all the complaints received and processed in the Commission. However, a complaint number would only be provided to the complainant wherein it has been decided to investigate the complaint. Status of such complaints sent for investigation can be viewed on the Commission's website www.cvc.gov.in under head "Complaint status".
- Commission will not entertain any further correspondence in the matter, but will ensure that the complaints are investigated and action taken to its logical conclusion.
- Department-wise list of the complaints which are being investigated by/under the direction of the Commission will be displayed in its monthly bulletin.
- Commission also accepts complaints under "Public Interest Disclosure and Protection of Informer Regulation" separately.

Jurisdiction

Commission's Jurisdiction under CVC Act—

- Members of All India Service serving in connection with the affairs of the Union and Group A officers of the Central Government.
- Officers of the rank of Scale V and above in the Public Sector Banks.
- Officers in Grade D and above in Reserve Bank of India, NABARD and SIDBI.
- Chief Executives and Executives on the Board and other officers of E-8 and above in Schedule 'A' and 'B' Public Sector Undertakings.
- Chief Executives and Executives on the Board and other officers of E-7 and above in Schedule 'C' and 'D' Public Sector Undertakings.
- Managers and above in General Insurance Companies.
- Senior Divisional Managers and above in Life Insurance Corporations.
- Officers drawing salary of Rs. 8,700/- p.m. and above on Central Government D.A. pattern, as on the date of the notification and as may be revised from time to time in Societies and other Local Authorities.

- अन्य शिकायतों को या तो फाइल कर दिया जाएगा अथवा इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेज दिया जाएगा।
- आयोग में प्राप्त तथा कार्रवाई की जा रही सभी शिकायतों की आयोग पावती देगा। तथापि, शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या केवल तभी दी जाएगी जब शिकायत का अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया हो। अन्वेषण करने के लिए भेजी गई ऐसी शिकायतों की स्थिति आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर “शिकायत की स्थिति” शीर्षक के अन्तर्गत देखी जा सकती है।
- आयोग इस मामले में आगे किसी पत्राचार पर कार्रवाई नहीं करेगा लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का अन्वेषण हो रहा है तथा इनके तर्कपूर्ण निष्पादन के लिए कार्रवाई की गई है।
- आयोग द्वारा/के निर्देश अधीन अन्वेषण की जा रही शिकायतों की संगठन-वार सूची आयोग के मासिक बुलेटिन में दर्शाई जाएगी।
- आयोग पृथक् रूप से “लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण विनियम” के अन्तर्गत भी शिकायतें प्राप्त करता है।

— — —

अधिकार क्षेत्र

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का अधिकार क्षेत्र—

- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के समूह ‘क’ अधिकारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी V के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी ‘घ’ तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
- अनुसूची ‘क’ तथा ‘ख’ सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
- अनुसूची ‘ग’ तथा ‘घ’ सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-7 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
- सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबन्धक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
- जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
- समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार केन्द्र सरकार डी० ए० प्रतिमान पर 8700/- रु० प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी।

The Delhi Special Police Establishment Act, 1946

No. 25 of 1946

[19th November, 1946.]

An Act to make provision for the constitution of a special police force in Delhi for the investigation of certain offences in the Union territories, for the superintendence and administration of the said force and for the extension to other areas of the powers and jurisdiction of members of the said force in regard to the investigation of the said offences.

Whereas it is necessary to constitute a special police force in Delhi for the investigation of certain offences in the Union territories and to make provision for the superintendence and administration of the said force and for the extension to other area of the powers and jurisdiction of members of the said force in regard to the investigation of the said offences;

It is hereby enacted as follows :—

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.

(2) It extends to the whole of India.

¹[**1A. Interpretation section.**—Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.]

2. Constitution and powers of special police establishment.—(1) Notwithstanding anything in the Police Act, 1861 (5 of 1861), the Central Government may constitute a special police force to be called the Delhi Special Police Establishment for the investigation in any Union territory of offences notified under Section 3.

(2) Subject to any orders which the Central Government may make in this behalf, members of the said police establishment shall have throughout any Union territory, in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences, all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers of that Union territory have in connection with the investigation of offences committed therein.

(3) Any member of the said police establishment of or above the rank of Sub-Inspector may, subject to any orders which the Central Government may make in this behalf, exercise in any Union territory any of the powers of the officer in charge of a police station in the area in which he is for the time being and when so exercising such powers shall, subject to any such orders as aforesaid, be

1. Inserted by Act No. 45 of 2003, w.e.f. 12-9-2003.

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946

क्रमांक 25 सन् 1946

[19 नवम्बर, 1946]

संघ राज्यक्षेत्रों में कतिपय अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली में एक विशेष पुलिस बल के गठन के लिए, उक्त बल के अधीक्षण और प्रशासन के लिए और उक्त अपराधों के अन्वेषण के सम्बन्ध में उक्त बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के अन्य क्षेत्रों पर विस्तार के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

यह आवश्यक है कि संघ राज्यक्षेत्रों में कतिपय अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली में एक विशेष पुलिस बल गठित किया जाए और उक्त बल के अधीक्षण और प्रशासन के लिए और उक्त अपराधों के अन्वेषण के सम्बन्ध में उक्त बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के अन्य क्षेत्रों पर विस्तार के लिए उपबन्ध किया जाए;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) यह अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

1[1क. निर्वचन-खंड.—उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।]

2. विशेष पुलिस स्थापन का गठन और उसकी शक्तियां.—(1) पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों के किसी संघ राज्यक्षेत्र में अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन कहलाया जाने वाला एक विशेष पुलिस बल गठित कर सकेगी।

(2) किन्हीं ऐसे आदेशों के, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, अधीन रहते हुए उक्त पुलिस स्थापन के सदस्यों को ऐसे अपराधों के अन्वेषण के और ऐसे अपराधों से संसक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में किसी भी संघ राज्यक्षेत्र में सर्वत्र वे सब शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को वहां किए गए अपराधों के अन्वेषण के सम्बन्ध में होते हैं।

(3) उक्त पुलिस स्थापन का कोई सदस्य, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का हो, किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, किसी संघ राज्यक्षेत्र में उस क्षेत्र के, जिसमें वह तत्समय हों, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करते समय

1. अधिनियम क्रमांक 45 सन् 2003 द्वारा दिनांक 12-9-2003 से अंतःस्थापित।

deemed to be an officer in charge of a police station discharging the functions of such an officer within the limits of his station.

3. Offences to be investigated by special police establishment.—The Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify the offences or classes of offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment.

¹**4. Superintendence and administration of Special Police Establishment.**—(1) The superintendence of the Delhi Special Police Establishment in so far as it relates to investigation of offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), shall vest in the Commission.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1), the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in the Central Government.

(3) The administration of the said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by the Central Government (hereinafter referred to as the Director) who shall exercise in respect of that police establishment such of the powers exercisable by an Inspector-General of Police in respect of the police force in a State as the Central Government may specify in this behalf.

4A. Committee for appointment of Director.—²[(1) The Central Government shall appoint the Director on the recommendation of the Committee consisting of—

- (a) the Prime Minister —Chairperson;
- ³[(b) the Leader of Opposition recognised as such in the House of the People or where there is no such Leader of Opposition, then, the Leader of the single largest Opposition Party in that House —Member;]
- (c) the Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court nominated by him —Member.]

⁴[(2) No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee.]

(3) The Committee shall recommend a panel of officers—

- (a) on the basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases ; and
- (b) chosen from amongst officers belonging to the Indian Police Service constituted under the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951),

for being considered for appointment as the Director.

4B. Terms and conditions of service of Director.—(1) The Director shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the rules relating to his conditions of service, continue to hold office for a period of not less than two years from the date on which he assumes office.

1. Substituted by Act No. 45 of 2003, w.e.f. 12-9-2003.

2. Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

3. Substituted by Act No. 28 of 2014, w.e.f. 29-11-2014.

4. Inserted by Act No. 28 of 2014, w.e.f. 29-11-2014. Earlier sub-section was omitted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

वह, पूर्वोक्त जैसे आदेशों के अधीन रहते हुए, पुलिस थाने का ऐसा भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा, जो अपने स्टेशन की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है।

3. अपराध, जिनका अन्वेषण विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा.—केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन अपराधों या अपराधों के वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाना है।

¹[4. विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन.—(1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण, जहां तक इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों के अन्वेषण से है, आयोग में निहित होगा।

(2) जैसा उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(3) उक्त पुलिस स्थापन का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् निदेशक कहा गया है) निहित होगा जो उस पुलिस स्थापन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

4क. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति.—²[(1) केन्द्रीय सरकार, निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर करेगी,—

(क) प्रधानमंत्री —अध्यक्ष;

³[(ख) लोक सभा में उस रूप में मान्यताप्राप्त विपक्ष का नेता या जहां विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है, वहां उस सदन में एकल सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता —सदस्य;]

(ग) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश —सदस्य।]

⁴[(2) निदेशक की कोई नियुक्ति, समिति में केवल किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।]

(3) समिति,—

(क) ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के अन्वेषण के अनुभव के आधार पर; और

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के अधीन गठित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से चुनकर,

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

4ख. निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें.—(1) निदेशक, उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण किए रहेगा।

1. अधिनियम क्रमांक 45 सन् 2003 द्वारा दिनांक 12-9-2003 से प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से प्रतिस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2014 द्वारा दिनांक 29-11-2014 से प्रतिस्थापित।

4. अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2014 द्वारा दिनांक 29-11-2014 से अंतःस्थापित। पूर्व में अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा उपधारा (2) को दिनांक 16-1-2014 से विलुप्त किया गया।

¹[Provided that the period for which the Director holds the office on his initial appointment may, in public interest, on the recommendation of the Committee under sub-section (1) of section 4A and for the reasons to be recorded in writing, be extended up to one year at a time:

Provided further that no such extension shall be granted after the completion of a period of five years in total including the period mentioned in the initial appointment.]

(2) The Director shall not be transferred except with the previous consent of the Committee referred to in sub-section (1) of section 4A.

²**[4BA. Director of Prosecution.]—**(1) There shall be a Directorate of Prosecution headed by a Director who shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, for conducting prosecution of cases under this Act.

(2) The Director of Prosecution shall function under the overall supervision and control of the Director.

(3) The Central Government shall appoint the Director of Prosecution on the recommendation of the Central Vigilance Commission.

(4) The Director of Prosecution shall notwithstanding anything to the contrary contained in the rules relating to his conditions of service, continue to hold office for a period of not less than two years from the date on which he assumes office.]

4C. Appointment for posts of Superintendent of Police and above, extension and curtailment of their tenure, etc.—³(1) The Central Government shall appoint officers to the posts of the level of Superintendent of Police and above except Director, and also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officers in the Delhi Special Police Establishment, on the recommendation of a committee consisting of:—

- | | |
|---|---------------|
| (a) the Central Vigilance Commissioner | —Chairperson; |
| (b) Vigilance Commissioners | —Members; |
| (c) Secretary to the Government of India in charge of the Ministry of Home | —Member; |
| (d) Secretary to the Government of India in charge of the Department of Personnel | —Member: |

Provided that the Committee shall consult the Director before submitting its recommendation to the Central Government.]

(2) On receipt of the recommendation under sub-section (1), the Central Government shall pass such orders as it thinks fit to give effect to the said recommendation.]

5. Extension of powers and jurisdiction of special police establishment to other areas.—(1) The State Government may by order extend to any area (including Railway areas) in a State, not being a Union territory the powers and

1. Inserted by Act No. 45 of 2021, w.r.e.f. 14-11-2021.

2. Inserted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

3. Substituted by Act No. 1 of 2014, w.e.f. 16-1-2014.

¹[परंतु उस अवधि का, जिसके लिए निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, लोक हित में, धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन समिति की सिफारिश पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे किसी विस्तार को प्रारंभिक नियुक्ति में वर्जित कालावधि सहित कुल पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अनुदत्त नहीं किया जाएगा।]

(2) निदेशक को धारा 4क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

²[4खक. अभियोजन निदेशक.—(1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अभियोजन निदेशालय होगा जिसका प्रमुख एक निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के सकल अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर करेगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवा शर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, से दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपना पद धारण करता रहेगा।]

4ग. पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति, उनकी पदावधि का विस्तारण और लघुकरण, आदि.—³[(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में निदेशक के सिवाय, पुलिस अधीक्षक और ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे अधिकारियों की कार्यावधि के विस्तारण या कम किए जाने की सिफारिश भी करेगी,—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	—अध्यक्ष;
(ख) सतर्कता आयुक्त	—सदस्य;
(ग) गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव	—सदस्य;
(घ) कार्मिक विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव	—सदस्य :

परंतु समिति, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक से परामर्श करेगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे।]

5. विशेष पुलिस स्थापन की शक्तियों और अधिकारिता का अन्य क्षेत्रों पर विस्तारण.—

(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों या अपराधों के वर्गों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता

1. अधिनियम क्रमांक 45 सन् 2021 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 14-1-2021 से अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से अंतःस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2014 द्वारा दिनांक 16-1-2014 से प्रतिस्थापित।

jurisdiction of members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of any offences or classes of offences specified in a notification under Section 3.

(2) When by an order under sub-section (1) the powers and jurisdiction of members of the said police establishment are extended to any such area, a member thereof may, subject to any orders which the Central Government may make in this behalf, discharge the functions of a police officer in that area and shall, while so discharging such functions, be deemed to be a member of the police force of that area and be vested with the powers, functions and privileges and be subject to the liabilities of a police officer belonging to that police force.

(3) Where any such order under sub-section (1) is made in relation to any area, then, without prejudice to the provisions of sub-section (2), any member of the Delhi Special Police Establishment of or above the rank of Sub-Inspector may, subject to any orders which the Central Government may make in this behalf, exercise the powers of the officer in charge of a police station in that area and when so exercising such powers, shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging the functions of such an officer within the limits of his station.

6. Consent of State Government to exercise of powers and jurisdiction.—Nothing contained in Section 5 shall be deemed to enable any member of the Delhi Special Police Establishment to exercise powers and jurisdiction in any area in a State, not being a Union territory or railway area, without the consent of the Government of that State.

¹[**6A. Approval of Central Government to conduct inquiry or investigation.—**(1) The Delhi Special Police Establishment shall not conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) except with the previous approval of the Central Government where such allegation relates to—

- (a) the employees of the Central Government of the level of Joint Secretary and above ; and
- (b) such officers as are appointed by the Central Government in corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any gratification other than legal remuneration referred to in clause (c) of the Explanation to section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).]

7. Repeal of Ordinance 22 of 1946.—[Repealed by the Repealing and Amending Act, 1950 (35 of 1950), Section 2 and Schedule I.]

1. Inserted by Act No. 45 of 2003, w.e.f. 12-9-2003.

का विस्तारण संघ राज्यक्षेत्र न होने वाले किसी राज्य के किसी क्षेत्र पर (जिसके अन्तर्गत रेल क्षेत्र भी है) आदेश द्वारा कर सकेगी।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा उक्त पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण ऐसे किसी क्षेत्र पर किया जाता है तब उसका कोई सदस्य, ऐसे किन्हीं आदेशों के, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, अधीन रहते हुए उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का इस प्रकार निर्वहन करते समय वह उस क्षेत्र के पुलिस बल का सदस्य समझा जाएगा और उस पुलिस बल के सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार उसमें निहित होंगे तथा उसके दायित्वों के वह अध्यधीन होगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में किया जाता है तब उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का कोई सदस्य, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का हो, किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, उस क्षेत्र में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करते समय वह पुलिस थाने का ऐसा भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा, जो अपने स्टेशन की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है।]

6. शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सम्मति.— धारा 5 की कोई बात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी सदस्य को इसके लिए समर्थ करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह संघ राज्यक्षेत्र न होने वाले किसी राज्य के किसी क्षेत्र या रेल क्षेत्र में शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग उस राज्य की सरकार की सम्मति के बिना करे।

¹[**6क. जांच या अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन.**—(1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ऐसे किसी अपराध की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किया गया अभिकथित है, जहां उसका अभिकथन,—

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अनुमोदन ऐसे मामलों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 7 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप पर घटना स्थल पर ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्बलित है।]

7. 1946 के आर्डिनेंस संख्यांक 22 का निरसन.—[निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का 35) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित।]

— — —

